



हमारा उद्देश्य : कौशल भारत-कुशल भारत





समग्र शिक्षा द्वारा जारी गाइडलाइन के सरलीकरण में मील का पत्थर 'व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि'



● गेस्ट लेक्चर

● स्किल एजीबिशन कम कम्पीटिशन

● औद्योगिक भ्रमण

● प्लेसमेंट ड्राइव (आउटरिच)

● ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप

● एक्सपोज़र विजिट

अब इनके बारे में जानने के लिए वीडियो देखें और शेयर करें



@rajeduofficial



@rajeduofficial



@rajeduofficial

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1	व्यावसायिक शिक्षा योजना – परिचय	1-7
	• योजना के मुख्य बिन्दु	3-4
	• अध्ययन योजना (Scheme of Studies), परीक्षा व मूल्यांकन	5-7
2	योजना क्रियान्वयन में सहयोगी संस्थायें व उनके कार्य	7-9
3	AWP & B 2025-26 में अनुमोदित बजट प्रावधान	10-12
4	व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि क्रियान्वयन दिशा-निर्देश	13-23
	• गेस्ट लेक्चर (Guest Lectures on Data Analytic, Space Technology, BI, Cyber Security)	13-15
	• औद्योगिक भ्रमण (Industrial Visit)	15-17
	• ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप (On Job Training/Internship)	18-19
	• आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव (Outreach /Placement Drive)	20-21
	• रॉ मटेरियल ग्रांट (Raw Material Grant)	22
	• Contingencies/Awareness/Guidance & Counselling about Vocational Training for School	23
5	जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय व विद्यालय स्तर के कार्य एवं उत्तरदायित्व	24-31
	• जिला कार्यालय (CDEO/ADPC/APC/PO)	24-25
	• मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) कार्यालय	26
	• संस्था प्रधान के कार्य एवं उत्तरदायित्व	27-29
	• कौशल मित्र के कार्य एवं उत्तरदायित्व	30-31
6	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, व्यावसायिक प्रशिक्षक, एसकेएफ/व्यावसायिक समन्वयक के कार्य एवं उत्तरदायित्व	32-38
	• व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता	32-33
	• व्यावसायिक प्रशिक्षक	34-36
	• स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक	37-38
7	मानदेय पुनर्भरण, अन्य व्यय के भुगतान संबंधित दिशा-निर्देश व प्रपत्र	39-45
	• मानदेय पुनर्भरण, अन्य व्यय के भुगतान संबंधित दिशा-निर्देश	39-41
	• व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थिति प्रमाण प्रपत्र-अ	42-43
	• स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक निरीक्षण प्रपत्र-ब	44-45

पीएमश्री (व्यावसायिक शिक्षा) दिशा निर्देश – सत्र 2025-26

अध्याय-1 व्यावसायिक शिक्षा योजना – परिचय

अवधारणा :-

वर्तमान में वैश्विक बाजार एवं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिये प्रशिक्षित रोजगारोन्मुखी एवं प्रतिस्पर्धात्मक मानवीय संसाधनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुये शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत सन् 1988 में व्यावसायिक शिक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया, जिसके माध्यम से 10,000 विद्यालयों के लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात् 14-18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की सीखने की अधिकतम क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयी शिक्षा में संशोधित योजना “Vocationalization of Secondary and Higher Secondary Education” का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं संशोधित व्यावसायिक शिक्षा योजना के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से राजस्थान के 11 जिलों के 70 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 16 एवं टॉस्क संख्या 230, 231, 232 व 233 में व्यावसायिक शिक्षा के सन्दर्भ में वर्णित मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

- (1) व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि –
 - (अ) विद्यालयी शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे व अन्य व्यवसायों से परिचित हो।
 - (ब) विद्यार्थियों को आरम्भिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जायेगा, जिसे उच्च प्राथमिक, माध्यमिक कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक सुचारु रूप से जारी रखा जायेगा।
- (2) वर्ष 2025 तक विद्यालय और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जायेगा।
- (3) चरणबद्ध तरीके से अगले दशक (2021 से 2030) में माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जायेगा।

NEP 2020 के प्रावधानों में वर्णित दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन एवं प्रगति के क्रम में राज्य में सत्र 2025-26 में नवीन गतिविधियों का समावेश कर व्यावसायिक शिक्षा योजना तैयार की गई।

उद्देश्य –

1. शिक्षा एवं रोजगार के मध्य निर्दिष्ट अन्तराल को कम करना।
2. विद्यालयी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना।
3. आरम्भिक वर्षों (उच्च प्राथमिक) में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करना।
4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर एवं रोजगारोन्मुखी बनाना।
5. उच्च प्राथमिक से होते हुए माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में रोजगार एवं कौशल विकास की क्षमता विकसित करना।
6. विद्यालय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉपआउट दर को कम कर ठहराव सुनिश्चित करना।
7. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना।

व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत संचालित सेक्टर एवं जॉब रोल का विवरण निम्नानुसार है :-

S. No.	Sector	Job Role for Class 9 th & 10 th	Job Role for Class 11 th & 12 th
1.	Agriculture	Solanaceous Crop Cultivator	Micro-irrigation Technician
		Dairy Worker	Dairy Farmer / Entrepreneur
2.	Apparel Made ups & Home Furnishing	Sewing Machine Operator	Specialized Sewing Machine Operator
3.	Automotive	Four-Wheeler Service Assistant 3 (V-2.0)	Four-Wheeler Service Technician (V-1.0)
4.	Banking, Financial Services & Insurance	Microfinance Executive	Business Correspondent & Business Facilitator
5.	Beauty & Wellness	Assistant Beauty Therapist	Beauty Therapist
6.	Construction	Assistant Mason	General Mason
7.	Electronics & Hardware	Field Technician Other Home Appliances	Installation Technician Computing & Other Peripherals
8.	Food Processing	Jam Jelly, and Ketchup Processing Technician	Craft Baker
9.	Healthcare	Home Health Aide Trainee	GDA Trainee
10.	IT/ITeS	Domestic Data Entry operator	Domestic CRM Voice
11.	Plumber	Assistant Plumber (General)	Plumber (General)
12.	Security	Security Guard	NA
13.	Retail	Retail Cashier	Retail Sales Associate
14.	Telecom	Optical Fiber Splicer	Optical Fiber Technician
15.	Tourism and Hospitality	Food & Beverage Service Assistant	Food and Beverage Service-Associate

नोट:—सेक्टर Agriculture में सत्र 2023–24 एवं 2024–25 में अनुमोदित विद्यालयों में नवीन जॉब रोल कक्षा 9 व 10 हेतु Dairy Worker एवं कक्षा 11 व 12 हेतु Dairy Farmer / Entrepreneur संचालित किया जाना है।

सत्र 2023–24 से पूर्व शेष सभी Agriculture सेक्टर के विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 हेतु जॉब रोल Solanaceous Crop Cultivator एवं कक्षा 11 व 12 हेतु जॉब रोल Micro-irrigation Technician संचालित किया जाना है।

व्यावसायिक शिक्षा योजना के मुख्य बिन्दु :—

1. व्यावसायिक शिक्षा योजना, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “National Skill Qualification Framework” के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है।
2. राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सेक्टर के पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने हेतु National Skill Qualification Framework द्वारा Levels तैयार किये गये हैं। National Skill Qualification Framework के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा योजना के 10 लेवल हैं इनमें प्रथम चार लेवल L-1 से L-4 विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 के लिए हैं।
3. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विद्यालयों में सेक्टर का चयन विद्यालय के आस-पास उपलब्ध उद्योगों (Industry) व क्षेत्र विशेष की आवश्यकता एवं रोजगार उपलब्धता के अवसरों के आधार पर किया जाता है।
4. विद्यार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु चयन व्यावसायिक प्रशिक्षक, कौशल मित्र, संस्था-प्रधान आदि से परामर्श व मार्गदर्शन के आधार पर किया जाता है।
5. प्रत्येक चयनित विद्यालय में अनुमोदित एक अथवा दो सेक्टर में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है तथा प्रत्येक विद्यार्थी को उनके द्वारा चयनित एक सेक्टर में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
6. व्यावसायिक शिक्षा संचालन हेतु चयनित विद्यालय की कक्षा-9 में प्रति सेक्टर अधिकतम 40 विद्यार्थियों का चयन कर नवीन प्रवेश दिया जाता है।
7. कक्षा 11 में विद्यार्थी नवीन प्रवेश तथा नवीन सेक्टर का चयन कर सकता है।
8. व्यावसायिक शिक्षा हेतु नवीन अनुमोदित विद्यालयों में प्रथम वर्ष कक्षा 9 व आगामी वर्षों में क्रमशः 10, 11 व 12 का संचालन किया जाता है।
9. व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय का शिक्षण कार्य राज्य स्तर से चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा नियोजित किये गये व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक प्रशिक्षकों की योग्यता पण्डित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE), भोपाल के सुझाव अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा निर्धारित की जाती है।

10. चयनित विद्यालयों में निविदा संख्या 21/2024-25 से चयनित स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर प्रदाता (SKFP) के द्वारा 15 से 19 विद्यालयों पर एक स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर नियुक्त किया गया है (किसी जिले में 30 से कम विद्यालय होने की स्थिति में स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर में बराबर विद्यालयों का आवंटन किया जाना है)। जिसके द्वारा प्रत्येक माह इनमें से न्यूनतम 15 विद्यालयों का निरीक्षण अर्थात प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक विद्यालय का कम से कम दो बार निरीक्षण करना अनिवार्य है।

उक्त निविदा के अतिरिक्त नियोजित व्यावसायिक समन्वयकों/स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर को 30 विद्यालयों का आवंटन किया जाना है। जिनमें से प्रति माह 22 विद्यालय अर्थात 3 माह में प्रति विद्यालय दो बार निरीक्षण किया जाना है।

11. व्यावसायिक शिक्षा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये जाने व योजना के सुचारु रूप से संचालन की दृष्टि से जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ संस्था प्रधान व कौशल मित्र का आमुखीकरण तथा चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा नियोजित किये गये स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर तथा व्यावसायिक प्रशिक्षकों का राज्य स्तर से विभिन्न चरणों में आमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

12. विद्यालयों में सेक्टर से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल तथा राज्य स्तर की समिति से अनुमोदन उपरान्त सेक्टर से सम्बन्धित टूल्स/मशीन/उपरकण/सामग्री का निर्धारित मानकों के अनुसार क्रय कर व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशाला स्थापित की जाती है।

13. पाठ्यक्रम व व्यवसाय क्षेत्र की उभरती मांग के मध्य सेतु बनाने तथा विद्यार्थियों में सम्बन्धित सेक्टर में प्रासंगिक कौशल व ज्ञान को अद्यतन करने के लिए विद्यालय स्तर पर 08 गेस्ट लेक्चर (2 सॉफ्ट स्किल व 6 डोमेन सेक्टर) का आयोजन किया जाता है।

14. कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य स्थल के अनुभव व रोजगार की सम्भावनाओं से अवगत कराने के लिए प्रत्येक 03 माह में एक बार तथा शैक्षणिक सत्र में कुल 03 औद्योगिक भ्रमण करवाया जाता है।

15. कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को प्राप्त ज्ञान व कार्य क्षेत्र के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने तथा विद्यार्थी को कार्य स्थल पर कार्य करने का प्राथमिक अवसर उपलब्ध करवाने हेतु 80-80 घण्टे की ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप का आयोजन किया जाता है।

अध्ययन योजना (Scheme of Studies), परीक्षा व मूल्यांकन –

1. व्यावसायिक शिक्षा विषय को कक्षा 9 (लेवल-1) व 10 (लेवल-2) में सातवें अतिरिक्त विषय के रूप में अध्ययन का प्रावधान है। जिसके लिए विद्यालय के समय विभाग चक्र के अतिरिक्त समय में कालांश आवंटित कर लेवल-1 व लेवल-2 के लिये PSSCIVE द्वारा निधारित 200-200 घंटे की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जानी है।
2. कक्षा 9 व 10 में व्यावसायिक शिक्षा विषय तथा सामाजिक विज्ञान विषय में से अधिक अंक लाने वाले विषय को सम्मिलित कर सर्वाधिक 6 विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। इसके लिए विद्यार्थी को दोनों विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करना आवश्यक है।
3. कक्षा 11 (लेवल-3) व 12 (लेवल-4) में विद्यार्थी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय अथवा चतुर्थ अतिरिक्त विषय के रूप में अध्ययन का प्रावधान है। जिसके लिए विद्यालय के समय विभाग चक्र के अतिरिक्त समय में कालांश आवंटित कर लेवल-3 व लेवल-4 के लिये PSSCIVE द्वारा निधारित 300-300 घंटे की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की जानी है।
4. प्रत्येक कक्षा के व्यावसायिक शिक्षा विषय मूल्यांकन/परीक्षा के अंकों का विभाजन निम्नानुसार है:-

विद्यालय स्तर पर सतत् मूल्यांकन	सैद्धान्तिक परीक्षा	प्रायोगिक कार्य
20	30	50

विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के सतत् मूल्यांकन (20 अंक) का अंक विभाजन निम्नानुसार है:-

1. उपस्थिति – 5 अंक
2. पोर्टफोलियो – 5 अंक
3. कक्षा परख – 5 अंक
4. कक्षा में प्रदर्शन (Performance) – 5 अंक

5. सैद्धान्तिक परीक्षा:—

- कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा वार्षिक सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा करवाया जाता है। इस हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी निर्देशानुसार माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा व उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा के आवेदन पत्र विद्यालय द्वारा भरवाये जाने हैं।
- कक्षा 09 (Level-1) कक्षा 11 (Level-3) की व्यावसायिक शिक्षा विषय के वार्षिक सैद्धान्तिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र जिला स्तर पर निर्माण कर परीक्षा का आयोजन, मूल्यांकन व परीक्षा परिणाम विद्यालय स्तर पर घोषित किया जायेगा।

6. प्रायोगिक परीक्षा:—

- कक्षा 10 व 12 के व्यावसायिक शिक्षा विषय की प्रायोगिक परीक्षा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नई दिल्ली व विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराये गये असेसर (बाह्य परीक्षक) व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के समन्वय से सम्पन्न करायी जायेगी।
- कक्षा 9 व 11 के व्यावसायिक शिक्षा विषय की प्रायोगिक परीक्षा जिले में सम्बन्धित व्यावसायिक विद्यालय के व्यावसायिक प्रशिक्षक के द्वारा विद्यालय स्तर पर अन्य शैक्षणिक विषयों के साथ जिले द्वारा निर्धारित समयावधि में सम्पन्न करवायी जायेगी।

परीक्षा आयोजन सम्बन्धित विवरण

परीक्षा	कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 11	कक्षा 12
सतत मूल्यांकन	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर
सैद्धान्तिक परीक्षा	विद्यालय स्तर	बोर्ड स्तर	विद्यालय स्तर	बोर्ड स्तर
प्रायोगिक परीक्षा	जिला स्तर	NSDC/SSC द्वारा	जिला स्तर	NSDC/SSC द्वारा

7. विद्यार्थियों को प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक परीक्षा में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
8. व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत कक्षा 10 व कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर तथा सम्बन्धित Sector Skill Councils द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
9. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 व 10 हेतु 03-03 कालांश, कक्षा 11 हेतु 04 कालांश तथा कक्षा 12 हेतु 02 कालांश प्रति सप्ताह आवंटित किया गया है।

10. व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए PSSCIVE द्वारा निर्धारित 200-200 एवं 300-300 घण्टे की अध्ययन अवधि पूर्ण करने हेतु विद्यालय समय पूर्व/पश्चात अतिरिक्त समय में तथा प्रत्येक शनिवार को आयोजित 'नो बैग डे' में अध्ययन करवाया जायेगा। इसके लिए प्रति सप्ताह कक्षा 9 व 10 हेतु 7-7 कालांश तथा कक्षा 11 व 12 हेतु 8-8 कालांश अध्ययन करवाया जाना है।

अध्याय-2

योजना क्रियान्वयन में सहयोगी संस्थाएँ व उनके कार्य

1. शिक्षा मंत्रालय (MoE), भारत सरकार, नई दिल्ली

- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राज्यों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के कौशल विकास की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा योजना का अनुमोदन करना।
- राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्यालयों तथा ट्रेड/सेक्टर का अन्तिम रूप से अनुमोदन करना।

2. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (RCSE), जयपुर :

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर समग्र शिक्षा अभियान की गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य स्तर की संस्था है, जिसके मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:-

- अनुमोदित योजना का क्रियान्वयन करना।
- जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, प्रभावी मॉनिटरिंग तथा संचालन हेतु समय समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना।
- योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का चयन कर उन्हें योजना संचालन हेतु विद्यालयों का आवंटन एवं दिशा-निर्देश जारी करना।
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT), नई दिल्ली एवं पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE), भोपाल द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराना।

3. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) नई दिल्ली :-

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत/अधिकृत संस्था है, जो योजना क्रियान्वयन के संबंध में राज्यों को निम्नानुसार सहयोग प्रदान करती है:-

- सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में।
- राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण समिति (VETC) में तकनीकी रूप से सहयोग करना व सेक्टर से सम्बन्धित सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।

- 3) विद्यालयों के आस-पास उद्योगों की उपलब्धता व रोजगार की संभावनाओं की मॅपिंग करना।
- 4) सेक्टर से संबंधित प्रायोगिक कार्य हेतु सम्बन्धित SSC से समन्वय कर परीक्षक (Accessor) उपलब्ध कराना।
- 5) विद्यार्थियों के मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को सहयोग प्रदान करना।

4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, (NCERT) नई दिल्ली एवं पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) भोपाल:-

पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) भोपाल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली की एक प्रमुख संवैधानिक ईकाई हैं। यह योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्यों को निम्न प्रकार से सहयोग प्रदान करती है:-

1. राज्यों के लिए व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेड/सेक्टर (Sector/Trade) से सम्बन्धित जॉब रोल, पाठ्यक्रम निर्माण व Module निर्माण करना।
2. व्यावसायिक प्रशिक्षकों की योग्यता निर्धारित करना।
3. व्यावसायिक प्रशिक्षकों व व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
4. व्यावसायिक शिक्षा विषयों की प्रयोगशाला हेतु टूल्स, उपकरण तथा फर्नीचर के मापदण्ड (Specifications) का निर्धारण करना।
5. व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें अंग्रेजी/हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराना।

5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (BSER), अजमेर

- a. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (BSER), अजमेर का मुख्य कार्य व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत Scheme of Studies को अंतिम रूप दिया जाकर अधिसूचना जारी करना।
- b. व्यावसायिक शिक्षा विषय के कक्षा-10 (लेवल-2) व कक्षा-12 (लेवल-4) के सैद्धान्तिक परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण करना व परीक्षा का आयोजन कराना।
- c. व्यावसायिक शिक्षा विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) को सहयोग प्रदान करना।
- d. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के समन्वय से विद्यार्थियों के मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम जारी करना एवं प्रमाण पत्र तैयार कर विद्यालयों तक वितरित करना।

6. सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC's)

सेक्टर स्किल काउंसिल, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) से संबद्ध प्रत्येक सेक्टर से सम्बन्धित संस्थाएँ हैं, जिनका प्रमुख कार्य निम्नानुसार है:-

- a) विद्यालयों में ट्रेड/सेक्टर से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु आवश्यक सामग्री के Specifications तैयार करने में राज्यों की सहायता करना व विषय विशेषज्ञ उपलब्ध करवाना। व्यावसायिक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संबंधित सेक्टर के संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध कराना।
- b) विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय के प्रायोगिक कार्य सम्पन्न कराना तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ समन्वय कर मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र तैयार करना।

7. राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल (RSTB), जयपुर

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली/पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE), भोपाल द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न सेक्टर के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विद्यार्थी कार्य पुस्तिकाओं के मुद्रण का कार्य करना तथा मुद्रित सामग्री जिलों के डिपो तक पहुंचाना।

8. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में व्यावसायिक शिक्षा का State Curriculum Framework (SCF) तथा Online Training Module तैयार करना।

9. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC), जयपुर

व्यावसायिक विद्यालयों में नामित कौशल मित्रों के कौशल विकास हेतु आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन।

10. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP's)

योजना संचालन हेतु चयनित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालन हेतु सेक्टरवार आवंटित विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का नियोजन कर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करना।

11. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर प्रदाता (SKFP)

योजना संचालन हेतु चयनित स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर प्रदाताओं द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालन हेतु सेक्टरवार आवंटित विद्यालयों में स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर का नियोजन कर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करना।

अध्याय-3 AWP & B 2025-26 में अनुमोदित बजट प्रावधान

AWP & B 2025-26 में अनुमोदित बजट प्रावधान निम्नानुसार है:-

S. No.	Activity Master Details	Approved Budget Provision		
		Physical	Unit Cost	Financial (in Lakh)
	Project Innovation (Recurring)			
1	Outreach/ placement drive for class 12th student	261 (Schools)	0.75000	195.750
2	Internship for class 12th students of all 261 PM SHRI Schools	13324 (Students)	0.02000	266.480
3	Exposure Visit and Guest Lecture on Cyber Security, AI etc.	549 (Schools)	0.56000	307.440
	Total of Innovation			769.670
	Introduction of Voc. Edu. at Secondary and Sr. Secondary Level (Recurring)			
4	Financial Support for Vocational Teacher/ Trainer (New)	48 (VT)	1.20000	57.600
5	Financial support for Vocational Teachers/ Trainers (Existing)	771 (VT)	2.82000	2174.220
6	Financial Support for Resource Persons (New)	48 (Schools)	0.62500	30.000
7	Financial Support for Resource Persons (Existing)	501 (Schools)	1.92365	963.749
8	Raw material grant for new school per course (New)	48 (Schools)	0.62500	30.000
9	Raw Material grant for new school per course (Existing)	501 (Schools)	1.92365	963.749
10	Cost of providing hands-on Skill Training to Students (New)	48 (Schools)	0.60000	28.800
11	Cost of providing hands-on Skill Training to Students (Existing)	501 (Schools)	1.84670	925.197
12	Assessment and Certification	34225 (Students)	0.00600	205.350
13	In-Service Training (05 days)	771 (VT)	0.02500	19.275
14	Induction Training (10 Days)	48 (VT)	0.05000	2.400
15	Contingencies / Awareness / Guidance & Counselling about Vocational Training for School (New)	48 (Schools)	0.50000	24.000
16	Contingencies / Awareness / Guidance & Counselling about Vocational Training for School (Existing)	501 (Schools)	1.53892	770.999
	Total of Recurring			6195.338
	Grand Total (Innovation + Recurring)			6965.008
	Introduction to Vocational Education (Non- Recurring)			
17	Tools & Equipment	48 (Schools)	5.00000	240.000
	Total of NR			240.000
	Grand Total (Innovation + Recurring + Non-recurring)			7205.008

1. नवाचार (Innovation Projects) –

- Outreach/ placement drive for class 12th student मद में पीमएश्री योजना में व्यावसायिक शिक्षा संचालित 261 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा में कक्षा-12

उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन बाबत राशि रुपये 75000/- प्रति विद्यालय का प्रावधान किया गया है।

- Internship for class 12th students of all 261 PM SHRI Schools मद में व्यावसायिक शिक्षा संचालित 261 पीएमश्री विद्यालयों की कक्षा 12 में अध्ययनरत 13324 विद्यार्थियों के लिए इन्टर्नशिप का आयोजन करने हेतु प्रति विद्यार्थी राशि रुपये 2000/- का बजट प्रावधान किया गया है।
- Exposure Visit and Guest Lecture on Cyber Security, AI etc. मद में व्यावसायिक शिक्षा संचालित 549 पीएमश्री विद्यालयों में राशि रुपये 56,000 प्रति विद्यालय का बजट प्रावधान किया गया है। इस बजट प्रावधान में से राशि रुपये 16,000/- गेस्ट लेक्चर हेतु तथा राशि रुपये 40,000/- दो एक्सपोजर विजिट हेतु प्रयोग की जानी है।

2. अनावर्ती मद –

Tools & Equipment मद में पीएमश्री अन्तर्गत पीएबी सत्र 2025–26 में व्यावसायिक शिक्षा संचालन हेतु नवीन अनुमोदित 48 विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना हेतु राशि रु. 5.00 लाख प्रति लैब की गणना अनुसार कुल राशि रुपये 240.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

3. आवर्ती मद –

- 1) Financial Support for Vocational Teacher/ Trainer (New & Existing) मद में राशि का वर्तमान में जिला स्तर से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को, व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय भुगतान के पुनर्भरण हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है।
- 2) Financial Support for Resource Persons (New & Existing) मद में विद्यालयों में गेस्ट लेक्चर, स्किल नॉलेज फॅसिलिटेटर के मानदेय व यात्रा व्यय तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रशासनिक चार्ज पर व्यय किया जाना है। उक्त राशि का उपयोग विद्यालय एवं जिला स्तर द्वारा किया जाना है।
- 3) Raw Material Grant for New School per Course (New & Existing) मद में विद्यालयों में व्यावसायिक प्रयोगशाला में प्रशिक्षण के दौरान उपयोग में आने वाली कच्ची सामग्री, उपकरणों के रखरखाव, सॉफ्टवेयर, पुस्तकें, ई-लर्निंग सामग्री आदि के क्रय हेतु सेक्टरवार नवीन (New) अनुमोदित 48 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि 62,500/- रुपये प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर तथा पूर्व संचालित (Existing) 501 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि 1,92,365/- रुपये प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग विद्यालय स्तर पर किया जाना है।

- 4) Cost of Providing Hands Training Students (New & Existing) मद में नवीन अनुमोदित 48 पीएमश्री विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर कक्षा 9 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण हेतु राशि रुपये 60,000 तथा पूर्व संचालित (Existing) 501 पीएमश्री विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण एवं कक्षा 11 व कक्षा 12 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु राशि रुपये 1,84,670/- का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग विद्यालय स्तर पर किये जाने का प्रावधान है।
- 5) Assessment and Certification Cost (Existing) मद में कक्षा 10 व कक्षा 12 में अध्ययनरत् 34,225 विद्यार्थियों के Assessment एवं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को 100/- रुपये प्रति विद्यार्थी एवं सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउंसिल को 500/- रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से देय है। इस हेतु राशि 600/- प्रति विद्यार्थी की दर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को हस्तान्तरित किये जाने का प्रावधान है।
- 6) Contingencies/Awareness/Guidance & Counselling about Vocational Training for School (New & Existing) मद में राशि व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रचार-प्रसार, स्टेशनरी, यात्रा व्यय, एवं परीक्षा सम्बन्धी ई-कन्टेन्ट आदि के लिए सेक्टरवार नवीन (New) अनुमोदित 48 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि 50,000/- रुपये प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर तथा पूर्व संचालित (Existing) 501 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि 1,53,892/- रुपये प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि को विद्यालयों को हस्तान्तरित किये जाने का प्रावधान है।
- 7) In-service Training of VE - Teachers (5 - Days) - (Existing) मद में 771 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के 5 दिवसीय In-service Training हेतु प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षक राशि रुपये 2,500 (500 रुपये प्रति दिवस) का बजट प्रावधान है।
- 8) Induction Training of VE - Teachers (10 - Days) मद में नवीन 48 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के 5 दिवसीय Induction Training हेतु प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षक राशि रुपये 5000 (500 रुपये प्रति दिवस) का प्रावधान है।

अध्याय-4
व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि क्रियान्वयन दिशा-निर्देश

1. गेस्ट लेक्चर – Guest Lectures on Data Analytic, Space Technology, BI, Cyber Security

LTA-Long Term Activity

परिचय –

गेस्ट लेक्चर गतिविधि पाठ्यक्रम व व्यवसाय क्षेत्र की उभरती मांग के मध्य सेतु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रासंगिक कौशल, करियर विकल्पो एवं नवीन तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु विद्यालय स्तर पर गेस्ट लेक्चर आयोजित किया जायेगा। गेस्ट लेक्चर के विषयों के चयन के आधार पर विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों/उद्योगों में वास्तविक कार्य स्थल का अनुभव प्रदान करने हेतु एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया जायेगा।

उद्देश्य –

- a) विभिन्न क्षेत्रों में उभरती नवीन तकनीकों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना।
- b) विषय विशेषज्ञों व विद्यार्थियों के मध्य सीधा संवाद स्थापित कर अनुभव साझा करना।
- c) विद्यार्थियों में नवीन तकनीकों के प्रति जिज्ञासा व उद्यमिता की रुचि उत्पन्न करना।
- d) दुनिया के वास्तविक परिदृश्य और जीवन के अनुभवों में गतिशीलता एवं कार्य स्थितियों के सम्बन्ध में कौशल विकास।
- e) करियर विकल्पो एवं नवीन तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- f) अध्ययन और रोजगार के बीच निर्दिष्ट अन्तराल को कम करना।
- g) विद्यार्थियों के सैद्धान्तिक ज्ञान व अर्जित कौशल को वास्तविक कार्य स्थल के साथ सम्बद्ध करना।
- h) विद्यार्थियों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, व्यवसाय चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेने, औद्योगिक कौशल का विकास एवं रोजगार की संभावनाओं में अभिवृद्धि करना।
- i) औद्योगिक संस्थानों की कार्यप्रणाली की समझ विकसित करना।

क्रियान्वयन:- गतिविधि का आयोजन दो भागों में निम्नानुसार किया जायेगा –

A. गेस्ट लेक्चर –

1. व्यावसायिक शिक्षा संचालित 549 पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Sports, Photography, Event Management, Choreography, Data Analytics, Space Technology, Artificial Intelligence, Business Intelligence, Cyber Security,

Robotics, Data Science इत्यादि क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों द्वारा विद्यालय स्तर पर उपस्थित होकर गेस्ट लेक्चर प्रदान किया जायेगा।

2. प्रत्येक विद्यालय में माह सितम्बर 2025 से अप्रैल, 2026 के मध्य प्रतिमाह एक गेस्ट लेक्चर के अनुसार सत्र में कुल 08 गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया जायेगा।
3. गेस्ट लेक्चर आयोजन कक्षा 9 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया जाना है। गेस्ट लेक्चर का आयोजन नो बेग डे (शनिवार) को किया जाना है।
4. माह के समस्त नो बेग डे को अवकाश, परीक्षा या अन्य अत्यावश्यक आयोजन होने की स्थिति में गेस्ट लेक्चर का आयोजन उसी माह के अन्य दिवस को आयोजित किया जायेगा।
5. विषय-वस्तु व विशेषज्ञों का चयन विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं महत्व के दृष्टिगत संबंधित संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा।
6. विषय विशेषज्ञों के लिये प्रति गेस्ट लेक्चर हेतु राशि 2000 रुपये के मानदेय का प्रावधान किया गया है।
7. प्रत्येक गेस्ट लेक्चर की न्यूनतम अवधि 02 घण्टे होगी।

B. एक्सपोजर विजिट:-

1. व्यावसायिक शिक्षा संचालित 549 पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के विभिन्न क्षेत्रों संस्थानों/उद्योगों का अनुभव प्रदान करने तथा सैद्धान्तिक ज्ञान व अर्जित कौशल को वास्तविक कार्यस्थल के साथ सम्बद्ध करने हेतु सत्र में 02 बार कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिये एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया जायेगा।
2. एक्सपोजर विजिट गेस्ट लेक्चर से संबंधित संस्थान/आद्योगिक ईकाई में करवायी जानी है।
3. एक्सपोजर विजिट में विद्यार्थियों की संस्थान/औद्योगिक ईकाई में न्यूनतम विजिट अवधि 2 घण्टे की होगी।
4. प्रथम एक्सपोजर विजिट का आयोजन माह अक्टूबर, 2025 तथा द्वितीय का आयोजन माह जनवरी, 2026 में किया जायेगा। इस हेतु दिनांक व समय का चयन विद्यालय में अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दृष्टिगत रखते हुए ही किया जाये।
5. एक्सपोजर विजिट हेतु विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को पूर्व में सूचित करते हुए आवश्यक सहमति का उत्तरदायित्व संस्था प्रधान का होगा।
6. एक्सपोजर विजिट की सम्पूर्ण व्यवस्था एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा का दायित्व संस्था प्रधान का होगा।

7. एक्सपोजर विजिट के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा विजिट के दौरान प्राप्त ज्ञान, अनुभवों एवं अन्तर्दृष्टि पर चर्चा करने हेतु चिन्तनशील (आचार-विचार) सत्र का आयोजन किया जाये तथा लिखित प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाना है।

मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग –

1. गेस्ट लेक्चर आयोजन से सम्बन्धित प्रतिभागी/लाभान्वित विद्यार्थियों सहित समस्त सूचना का निर्धारित प्रपत्र में संधारण कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा तथा प्रपत्र पर गेस्ट लेक्चर देने वाले विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर कराया जाना आवश्यक है। उक्त सभी संधारित रिकार्ड जिला व राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
2. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा गेस्ट लेक्चर पश्चात विद्यार्थियों से फीडबैक लेकर उसमें आवश्यक सुधार किया जायेगा।
3. गेस्ट लेक्चर गतिविधि पर होने वाले व्यय के मूल बिल/रसीद में पूर्ण विवरण यथा-फर्म/व्यक्ति का नाम व पता, दिनांक, प्राप्त की गई राशि का विवरण, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व अन्य व्यय सम्बन्धी विवरण आवश्यक रूप से भरना है।

बजट प्रावधान –

व्यावसायिक शिक्षा संचालित 549 पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Guest lectures on data analytic, Space technology, BI, Cyber security_मद में राशि रुपये 56,000 प्रति विद्यालय का बजट प्रावधान किया गया है। इस बजट प्रावधान में से राशि रुपये 16,000 गेस्ट लेक्चर हेतु तथा राशि रुपये 40,000 एक्सपोजर विजिट हेतु प्रयोग की जानी है।

(2) औद्योगिक भ्रमण (Industrial Visit)

LTA-Long Term Activity

परिचय –

कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य स्थल के अनुभव व रोजगार की सम्भावनाओं से अवगत कराने के लिए औद्योगिक भ्रमण का आयोजन किया जायेगा।

उद्देश्य–

- a) विद्यार्थियों के सैद्धान्तिक ज्ञान व अर्जित कौशल को वास्तविक कार्य स्थल के साथ सम्बद्ध करना।
- b) विद्यार्थियों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, व्यवसाय चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेने, औद्योगिक कौशल का विकास एवं रोजगार की संभावनाओं में अभिवृद्धि करना।

c) औद्योगिक संस्थानों की कार्यप्रणाली की समझ विकसित करना।

टाईमलाईन —सत्र में 03 औद्योगिक भ्रमण। (प्रथम— माह सितम्बर, द्वितीय—माह दिसम्बर, तृतीय—माह फरवरी)

क्रियान्वयन —

1. औद्योगिक भ्रमण का आयोजन कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को प्रत्येक 03 माह में एक बार तथा शैक्षणिक सत्र में कुल 03 औद्योगिक भ्रमण करवाया जाना है।
2. प्रत्येक औद्योगिक भ्रमण की न्यूनतम अवधि 2 घण्टे की होगी।
3. औद्योगिक भ्रमण हेतु निकटवर्ती (जिले के अन्दर अथवा बाहर) औद्योगिक ईकाई/संस्थाओं का चयन सेक्टर अनुसार सम्पूर्ण योजना का निर्माण स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा माह जुलाई, 2025 तक किया जायेगा।
4. विद्यार्थियों के औद्योगिक भ्रमण से पहले स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा सम्बन्धित संस्थान की वांछित अनुमति प्राप्ति उपरान्त व्यावसायिक प्रशिक्षक व कौशल मित्र द्वारा प्री-विजिट किया जाना है।
5. औद्योगिक भ्रमण के दिनांक व समय का चयन विद्यालय में अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए ही किया जाये।
6. औद्योगिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को पूर्व में सूचित करते हुए आवश्यक सहमति का उत्तरदायित्व कौशल मित्र व संस्था प्रधान का होगा।
7. औद्योगिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा का दायित्व कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक का होगा।
8. औद्योगिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियों के लिए ट्रांसपोर्ट सम्बन्धी व्यवस्था संस्था प्रधान व कौशल मित्र द्वारा की जायेगी। यह ट्रांसपोर्ट व्यवस्था विद्यालय से औद्योगिक संस्थान तथा औद्योगिक संस्थान से विद्यालय तक ही मान्य रहेगी।
9. विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण के दौरान औद्योगिक संस्थाओं का भ्रमण, उनके विभिन्न विभागों एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रदान करते हुए औद्योगिक संस्थाओं की गतिविधियों का निरीक्षण करवाया जायेगा। भ्रमण के दौरान संस्था की गतिविधियों के बारे में जिज्ञासा के सम्बन्ध में विशेषज्ञों से प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना है। औद्योगिक भ्रमण के दौरान इनसे सम्बन्धित फोटो व वीडियो तैयार किया जाना है।
10. औद्योगिक भ्रमण पश्चात विद्यार्थियों द्वारा भ्रमण के दौरान प्राप्त ज्ञान, अनुभवों एवं अन्तर्दृष्टि पर चर्चा करने हेतु चिन्तनशील (आचार—विचार) सत्र का आयोजन किया जाये तथा लिखित प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाना है।

मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग –

1. औद्योगिक भ्रमण से सम्बन्धित प्रतिभागी/लाभान्वित विद्यार्थियों सहित समस्त सूचना का निर्धारित प्रपत्रों में संधारण कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा। संधारित रिकार्ड जिला व राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
2. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा औद्योगिक भ्रमण पश्चात विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम से सम्बन्धित फीडबैक लेकर उसमें आवश्यक सुधार हेतु सुझाव संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. इस सम्पूर्ण गतिविधि पर होने वाले व्यय के मूल बिल/रसीद में पूर्ण विवरण यथा—फर्म/व्यक्ति का नाम व पता, दिनांक, प्राप्त की गई राशि का विवरण, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व अन्य व्यय सम्बन्धी विवरण आवश्यक रूप से भरना है।

बजट प्रावधान –

नवीन अनुमोदित 48 पीएमश्री विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर कक्षा 9 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण हेतु राशि रुपये 60,000 तथा पूर्व संचालित (Existing) 501 पीएमश्री विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण हेतु राशि रुपये 60,000/— का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग विद्यालय स्तर पर किये जाने का प्रावधान है।

(3) ऑन जॉब ट्रेनिंग / इन्टर्नशिप (On Job Training/Internship)

LTA-Long Term Activity

परिचय –

ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप एनएसक्यूएफ का महत्वपूर्ण भाग है। यह गतिविधि कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को प्राप्त ज्ञान व कार्य क्षेत्र के मध्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है तथा विद्यार्थी को कार्य स्थल पर कार्य करने का प्राथमिक अवसर उपलब्ध करवाती है।

उद्देश्य—

- a) विद्यार्थियों द्वारा कक्षा-कक्ष में प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञान व कौशल को व्यावहारिक या वास्तविक वातावरण में अन्तर्लित करना।
- b) विद्यार्थियों में सम्बन्धित सेक्टर के प्रति समझ में अभिवृद्धि।
- c) विद्यार्थियों को संस्थागत अनुभव प्राप्त करना।
- d) रोजगार की सम्भावनाओं में वृद्धि तथा रोजगार चयन में सहायता प्रदान करना।
- e) विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान करना।

टार्मलाइन – माह दिसम्बर, 2025—जनवरी, 2026 (शीतकालीन अवकाश) में।

क्रियान्वयन –

1. कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों हेतु सत्र में 80—80 घण्टे की ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप का आयोजन किया जाना है।
2. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप का आयोजन शीतकालीन अवकाश में परिषद द्वारा निर्धारित समयावधि में किया जाना है।
3. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से फील्ड भ्रमण कर सेक्टर से सम्बन्धित निकटवर्ती औद्योगिक ईकाई/संस्थाओं का पूल स्थापित किया जाना है।
4. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप हेतु स्थापित पूल में से संस्थान का चयन कर वांछित अनुमति प्राप्त करेगा। इसके उपरान्त व्यावसायिक प्रशिक्षक व कौशल मित्र द्वारा प्री-विजिट किया जाना है।
5. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा कौशल मित्र एवं संस्था प्रधान को गतिविधि की अवधारणा व कार्यक्रम की रूप रेखा से अवगत करवाया जायेगा।
6. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप से पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के साथ इसके उद्देश्य, महत्त्व, प्रक्रिया आवश्यकताओं आदि हेतु परिचयात्मक सत्र का आयोजन किया जायेगा।
7. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप हेतु विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को पूर्व में सूचित करते हुए आवश्यक सहमति का उत्तरदायित्व कौशल मित्र व संस्था प्रधान का होगा।

8. व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप में जाने वाले तथा रोजगार के इच्छुक विद्यार्थियों की सूची तैयार की जायेगी।
9. विद्यार्थियों हेतु निर्धारित कार्यस्थल पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आयोजित गतिविधि के फोटो, विडियो, विद्यार्थी/संस्था के अनुभव, लॉग बुक का उत्तरदायित्व व्यावसायिक प्रशिक्षक व कौशल मित्र का रहेगा।
10. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा का दायित्व कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक का होगा तथा ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी व्यवस्था संस्था प्रधान द्वारा की जायेगी। ट्रान्सपोर्ट व्यय एवं व्यवस्था केवल विद्यालय से औद्योगिक संस्थान तथा औद्योगिक संस्थान से विद्यालय तक का ही देय होगा।

मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग –

1. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप के पश्चात व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवायी जायेगी, जिसमें किये गये कार्यों, अर्जित ज्ञान, चुनौतियाँ आदि का विवरण होगा।
2. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप पश्चात संस्थान से विद्यार्थियों की कार्यकुशलता व अनुभव से सम्बन्धित फीडबैक लेकर जिला कार्यालय व संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर (SKF) द्वारा ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप पश्चात संस्थान से निरन्तर सम्पर्क कर विद्यार्थियों के भविष्य में रोजगार की संभावनाओं का पता कर समन्वय स्थापित किया जाना है।
4. ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप से सम्बन्धित प्रतिभागी/लाभान्वित विद्यार्थियों सहित समस्त सूचना का निर्धारित प्रपत्र में संधारण कौशल मित्र व व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा। संधारित रिकार्ड जिला व राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
5. इस सम्पूर्ण गतिविधि पर होने वाले व्यय के मूल बिल/रसीद में पूर्ण विवरण यथा-फर्म/व्यक्ति का नाम व पता, दिनांक, प्राप्त की गई राशि का विवरण, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व अन्य व्यय सम्बन्धी विवरण आवश्यक रूप से भरना है।

बजट प्रावधान –

- (I) कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर राशि रुपये 60,000/- का प्रावधान है।
- (II) कक्षा 12 में अध्ययनरत 13324 विद्यार्थियों के लिए इन्टर्नशिप हेतु प्रति विद्यार्थी राशि रुपये 2000/- का प्रावधान है। (यह राशि ऑन जॉब ट्रेनिंग के अतिरिक्त अनुमोदित है)

(4) आउटरीच / प्लेसमेंट ड्राइव (Outreach /Placement Drive)

STA-Short Term Activity

परिचय –

पीमएश्री योजना में व्यावसायिक शिक्षा संचालित 261 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा एवं रोजगार के मध्य अन्तर को कम करने तथा व्यावसायिक शिक्षा में कक्षा-12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जायेगा। इसमें व्यावसायिक शिक्षा में रोजगार उपलब्ध कराने वाले आद्यौगिक समूह/संस्थाओं को आमन्त्रित कर इच्छुक व 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

उद्देश्य—

- a) व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को व्यवसाय चयन में सहायता प्रदान करना।
- b) व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को भविष्य के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना।
- c) शिक्षा और रोजगार के अन्तर के मध्य सेतु निर्माण करना।
- d) विद्यार्थियों को रोजगार के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

टाईमलाईन —माह अक्टूबर, 2025 में आयोजन।

क्रियान्वयन –

1. आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव में व्यावसायिक शिक्षा के 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण अथवा परीक्षा में प्रविष्ट हो चुके विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया जायेगा।
2. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर द्वारा औद्योगिक भ्रमण व ऑन-जॉब ट्रेनिंग आयोजन के समय रोजगार उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक ईकाई/संस्थान की पहचान कर आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव के आयोजन हेतु टाई-अप किया जायेगा।
3. आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन माह अक्टूबर, 2025 में ब्लॉक स्तर पर किया जायेगा। गतिविधि के आयोजन संबंधित सम्पूर्ण व्यवस्था एवं समन्वय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा की जायेगी।
4. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर द्वारा चयनित उद्योगों के साथ संपर्क/लिंकेज स्थापित कर उन्हें आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव के आयोजन के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवायी जायेगी।
5. आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को जागरूक कर रोजगार एवं कैरियर के उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान की जायेगी।

6. व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को रोजगार की उपलब्धता, संस्थाओं की आवश्यकता, वेतन संरचना, रोजगार स्थल आदि की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी।
7. व्यावसायिक शिक्षा के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी विद्यार्थियों को आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
8. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा विभिन्न क्षेत्र की संस्थाओं, कंपनियों व नियोक्ताओं को जॉब फेयर में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
9. कौशल मित्र व संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों के लिए विद्यालय से आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव के स्थान तक आने-जाने के लिए परिवहन व आयोजन के दौरान विद्यार्थियों के सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाये।

मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग –

1. आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव के आयोजन से सम्बन्धित प्रतिभागी/लाभान्वित विद्यार्थियों सहित समस्त सूचना संधारण संस्था प्रधान तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जायेगा। संधारित रिकार्ड ब्लॉक, जिला व राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
2. स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर द्वारा आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव में प्रतिभागियों, नियोक्ताओं और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों से उनके अनुभव के बारे में फीडबैक प्राप्त कर रिपोर्ट संधारित की जायेगी।
3. जिला कार्यालय द्वारा आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव की समेकित रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

बजट प्रावधान—

261 व्यावसायिक शिक्षा संचालित पीएमश्री विद्यालयों में लिये Outreach /Placement Drive for Class 12th Student मद में राशि रुपये 75,000 प्रति विद्यालय का बजट प्रावधान किया गया है। उक्त राशि का उपयोग ब्लॉक स्तर आयोजित आउटरीच/प्लेसमेंट ड्राइव की समस्त व्यवस्था, सामग्री मुद्रण, विद्यार्थियों के आवागमन, अल्पाहार आदि पर किया जाना है।

(5) रॉ मेटेरियल ग्रांट (Raw Material Grant)

LTA-Long Term Activity

टाईमलाईन — विद्यालय स्तर पर प्रति माह आवश्यकतानुसार।

क्रियान्वयन —

1. उक्त राशि का उपयोग संबंधित व्यावसायिक ट्रेड/सेक्टर के प्रशिक्षण में उपयोग में आने वाली कच्ची सामग्री, अस्थायी सामग्री, ई-लर्निंग सामग्री, पाठ्य पुस्तक, संन्दर्भ सामग्री क्रय करने में तथा संबंधित ट्रेड के उपकरणों औजारों के रख रखाव, त्रुटि सुधार, अपग्रेड करने में किया जा सकेगा।
2. कच्ची सामग्री के क्रय हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षक, स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर व कौशल मित्र से आवश्यक सामग्री की सूची व मापदण्ड प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर सामग्री क्रय की जानी है।
3. सामग्री का क्रय तथा भुगतान विद्यालय स्तर पर किया जावेगा तथा विद्यालय से व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से जिला कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा तथा जिला कार्यालय द्वारा प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्टि की जानी है।
4. उपरोक्त व्यय के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का विद्यालय एसडीएमसी से अनुमोदन करावें।
5. उक्त राशि का उपयोग प्रति माह करते हुए 31 मार्च, 2026 तक किया जाना है।
6. जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जाये।
7. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देश, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गार्ड लाईन एवं आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम 2013 की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

बजट प्रावधान —

रॉ मेटेरियल हेतु सेक्टरवार नवीन (New) अनुमोदित 48 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि 62,500/— रुपये प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर तथा पूर्व संचालित (Existing) 501 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि 1,92,365/— रुपये प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग विद्यालय स्तर पर किया जाना है।

(6) Contingencies/Awareness/Guidance & Counselling about

Vocational Training for School

LTA-Long Term Activity

टाईमलाईन — विद्यालय स्तर पर प्रति माह आवश्यकतानुसार।

क्रियान्वयन —

1. उक्त राशि का उपयोग निम्न गतिविधि/सामग्री में किया जा सकता है:—
 - a) विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा योजना के संबंध में आयोजित होने वाली बैठकों के आयोजन पर होने वाला व्यय जैसे कि फोटो, बैनर, चाय, अल्पाहार इत्यादि।
 - b) व्यावसायिक शिक्षा विषय से संबंधित कोई रैली व प्रचार-प्रसार।
 - c) व्यावसायिक शिक्षा योजना में नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावकों के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के सम्बन्ध में बैठकों के आयोजन पर होने वाला व्यय।
 - d) व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में विद्यालय के संस्था प्रधान/कौशल मित्र द्वारा फील्ड विजिट पर हाने वाला व्यय।
 - e) व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी, कार्यालय व्यय, आदि पर होने वाला व्यय।
 - f) व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित टेलीफोन व इन्टरनेट व्यय।
 - g) विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले स्किल एग्जीबिशन कम कम्पीटिशन पर होने वाला व्यय।
 - h) परीक्षा सम्बन्धी कन्टेन्ट पर व्यय।
 - i) व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धित गतिविधियों में आवश्यकतानुसार होने वाला व्यय।
2. उपरोक्त करवाये गये कार्यों का अनुमोदन संबंधित विद्यालय की एसडीएमसी द्वारा किया जाना है।
3. जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जाये।
4. उक्त राशि का उपयोग प्रति माह करते हुए 31 मार्च, 2026 तक किया जाना है। व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा तथा जिला कार्यालय द्वारा प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्टि की जानी है।
5. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देश, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम, 2013 की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

बजट प्रावधान — इस मद में सेक्टरवार नवीन (New) अनुमोदित 48 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि 50,000/- रुपये प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर तथा पूर्व संचालित (Existing) 501 पीएमश्री विद्यालयों हेतु राशि 1,53,892/- रुपये प्रति विद्यालय, प्रति सेक्टर का बजट प्रावधान किया गया है। यह राशि विद्यालयों द्वारा व्यय की जानी है।

(A) जिला कार्यालय

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी (CDEO/ADPC/APC/PO) के प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार है:-

a) योजना-

व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु योजना का निर्माण तथा अधिनस्थ कार्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश व सहायता प्रदान करना।

b) क्रियान्वयन -

- **नीति क्रियान्वयन और अनुपालन:-** व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत परिषद् से जारी योजना संचालन व गतिविधियों के आयोजन के दिशा-निर्देश की व्यावसायिक प्रशिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, विद्यालय एवं ब्लॉक से पालना करवाना।
- **संसाधन आवंटन और प्रबंधन:-** जिला कार्यालयों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों हेतु परिषद् कार्यालय से जारी राशि को ब्लॉक/विद्यालय तक निर्धारित समय पर प्रावधानानुसार हस्तान्तरित किया जाना।
- **व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना :-** विद्यालयों में राज्य कार्यालय द्वारा जारी मापदण्ड (Specifications) के अनुसार व्यावसायिक लैब की स्थापना किया जाना। जिला कार्यालय सुनिश्चित करेंगे कि लैब आवश्यक टूल व उपकरणों से सुसज्जित हो।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षक ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण:-** जिला कार्यालय नवीन नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षकों को आवंटित विद्यालयों में नियोजन से पूर्व उनके मूल दस्तावेजों से मिलान कर सत्यापन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक-6 में उल्लेखित आवश्यक योग्यता और अनुभव मानदण्डों को पूरा करते हो। जिले में नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षकों के दस्तावेजों की छायाप्रति सहित समस्त रिकॉर्ड संधारित करेंगे।

c) पुनर्भरण एवं भुगतान प्रबन्धन:-

जिला कार्यालय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक प्रशिक्षक व स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर के मानदेय भुगतान की पुनर्भरण पत्रावलियों का भुगतान करने की समयबद्ध कार्यवाही सम्पादित करेंगे। मानदेय पुनर्भरण भुगतान प्रक्रिया हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रस्तुत

पत्रावली और समस्त दस्तावेजों यथा – व्यावसायिक प्रशिक्षक/स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर उपस्थिति रिकॉर्ड, एनईएफटी और बैंक हस्तान्तरण विवरण, व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि रिपोर्ट आदि का सत्यापन कर भुगतान किया जाना है।

d) मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग:—

- **कार्यक्रम की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन:** व्यावसायिक शिक्षा योजना की मॉनिटरिंग करने हेतु विद्यालय स्तर पर कक्षा की गतिविधियों का निरीक्षण करने, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन का आकलन करने और शिक्षण मानकों का पालन हेतु नियमित विद्यालय निरीक्षण करेंगे। विद्यार्थी कार्य प्रगति तथा फीडबैक का विश्लेषण कर व्यावसायिक शिक्षा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर आवश्यक सुधार करेंगे।
- **जिला स्तरीय बैठक :-** व्यावसायिक शिक्षा योजना के संचालन व प्रगति के सम्बन्ध में माह में एक बार संस्था प्रधान व स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर के साथ बैठक आयोजित कर योजना के सुचारु एवं प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
- **डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग:** जिला कार्यालय व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी नामांकन, मूल्यांकन, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट आदि समस्त रिकार्ड संधारित करेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रबंध पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त प्रविष्टि नियमित रूप से अद्यतन करवाने के लिये उत्तरदायी होंगे।
- **संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय :-** जिला कार्यालय विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, उद्योग विशेषज्ञ, समुदाय के सदस्य और राज्य स्तरीय अधिकारियों सहित विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहकर व्यावसायिक शिक्षा योजना को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

(B) मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) कार्यालय

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) कार्यालय के प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार हैं:-

a) योजना-

व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु योजना का निर्माण तथा अधिनस्थ विद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश व सहायता प्रदान करना।

b) क्रियान्वयन -

- **नीति क्रियान्वयन और अनुपालन:-** व्यावसायिक शिक्षा योजना अन्तर्गत परिषद् व जिला कार्यालय द्वारा जारी योजना संचालन व गतिविधियों के आयोजन के दिशा-निर्देश की विद्यालय से पालना करवाना।
- **संसाधन आवंटन और प्रबंधन:-** व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों हेतु जिला कार्यालयों द्वारा जारी राशि को विद्यालय तक निर्धारित समय पर प्रावधानानुसार हस्तान्तरित किया जाना।
- **व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना :-** विद्यालयों में राज्य कार्यालय द्वारा जारी मापदण्ड (Specifications) के अनुसार व्यावसायिक लैब की स्थापना व सुचारु संचालन सुनिश्चित करना।

c) मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग:-

- **कार्यक्रम की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन:** व्यावसायिक शिक्षा योजना की मॉनिटरिंग करने हेतु विद्यालय स्तर पर कक्षा की गतिविधियों का निरीक्षण करने, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन का आकलन करने और शिक्षण मानकों का पालन हेतु नियमित विद्यालय निरीक्षण करेंगे। विद्यार्थी कार्य प्रगति तथा फीडबैक का विश्लेषण कर व्यावसायिक शिक्षा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर आवश्यक सुधार करेंगे।
- **ब्लॉक स्तरीय बैठक :-** व्यावसायिक शिक्षा योजना के संचालन व प्रगति के सम्बन्ध में संस्था प्रधान व स्कूल नॉलेज फेसिलिटेटर के साथ बैठक आयोजित कर योजना के सुचारु एवं प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
- **डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग:** व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी नामांकन, मूल्यांकन, सर्टिफिकेशन, इंटरनशिप, जॉब प्लेसमेंट आदि समस्त रिकार्ड संधारित कर शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त प्रविष्टि नियमित रूप से अद्यतन करवायी जानी है।

(C) संस्था प्रधान के कार्य एवं उत्तरदायित्व

व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय के संस्था प्रधान के प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार है:-

- a) **योजना और क्रियान्वयन:** विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा योजना के क्रियान्वयन के लिए संस्था प्रधान उत्तरदायी होंगे तथा इस हेतु योजना के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षकों, स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर, जिला व ब्लॉक कार्यालय सहित समस्त हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।
- b) **अध्ययन योजना निर्माण:** संस्था प्रधान व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन योजना निर्माण में व्यावसायिक प्रशिक्षक और स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर को आवश्यक दिशा निर्देश व सहायता प्रदान करेंगे।
- c) **कौशल मित्र नामित करना :** विद्यालय का संस्था प्रधान विशेष आदेश के माध्यम से विद्यालय के एक वरिष्ठ राजकीय शिक्षक (यथा संभव-सेकेंड ग्रेड अध्यापक) को कौशल मित्र के रूप में नामित करेंगे। नामित कौशल मित्र की सूचना जिला व राज्य कार्यालय को दी जायेगी तथा परिवर्तन की स्थिति में नवीन नामित कौशल मित्र की सूचना जिला और राज्य कार्यालय को प्रेषित की जाये।
- d) **व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थिति:-** विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की दैनिक उपस्थिति करवाये जाने हेतु अलग से रजिस्टर संधारित कर सेक्टरवाईज उपस्थिति करवाना, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षक का नाम नहीं लिखकर केवल सेक्टर का नाम व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का ही उल्लेख करना है। संस्था प्रधान द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों की उपस्थिति निर्धारित प्रारूप में उपस्थित रहने पर "P", अवकाश पर रहने पर नियमानुसार "L", अनुपस्थित रहने पर "A" तथा विभिन्न राजकीय/स्थानीय घोषित अवकाश होने पर "H" अंकित किया जाना तथा प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर किये जाये।
- e) **व्यावसायिक प्रशिक्षक अवकाश:-** व्यावसायिक प्रशिक्षकों को एक माह में एक आकस्मिक अवकाश देय होगा अर्थात् वर्ष भर में प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षक को कुल 12 अवकाश देय है, जिसका समस्त रिकार्ड संस्था प्रधान द्वारा संधारित किया जावेगा।
- f) **संसाधन आवंटन और प्रयोगशाला स्थापना:** व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित किये जाने हेतु बजट और सामग्री सहित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए संस्था प्रधान उत्तरदायी होंगे। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि व्यावसायिक प्रयोगशाला निर्धारित मानकों अनुसार के स्थापित की जाये तथा

प्रयोगशाला हेतु आवश्यक कच्ची सामग्री का क्रय कौशल मित्र और व्यावसायिक प्रशिक्षक से परामर्श से किया जाये।

- g) **समय-सारिणी निर्धारण:** संस्था प्रधान व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत जारी स्कीम ऑफ स्टडीज के अनुसार विद्यालय की समय सारिणी का निर्माण किया जाये। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए आवंटित अवधि (9वीं व 10वीं के लिए 200-200 घंटे, 11वीं व 12वीं के लिए 300-300 घंटे) के निर्धारण हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षक और कौशल मित्र की सहायता से संतुलित समय सारिणी बनायेगें। व्यावसायिक पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण करने हेतु विद्यालय समय के अतिरिक्त समय में तथा नो बैग डे में कालांश आवंटित कर अध्ययन करवाया जाये।
- h) **विद्यार्थी परामर्श और जागरूकता:** संस्था प्रधान व्यावसायिक शिक्षा योजना की महत्व उपयोगिता व कैरियर के अवसर के बारे में विद्यार्थियों व अभिभावकों को जागरूक करने हेतु सत्र और कार्यक्रम आयोजित करने में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का सहयोग करेंगे।
- i) **व्यावसायिक प्रशिक्षक ऑनबोर्डिंग:** नवीन नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षकों को जिला कार्यालय द्वारा सत्यापित रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय में कार्यग्रहण करवाया जाये। कार्यग्रहण से पूर्व यह भी सुनिश्चित करें कि व्यावसायिक प्रशिक्षक आवश्यक योग्यता और अनुभव मानदंडों को पूरा करते हैं। संस्था प्रधान व्यावसायिक प्रशिक्षक नियोजन सम्बन्धी रिकॉर्ड का संधारण करे तथा नियोजन रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित करें।
- j) **गुणवत्ता और मॉनिटरिंग :** संस्था प्रधान शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की नियमित निगरानी करके व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। संस्था प्रधान समय-समय पर शिक्षण कार्य का मूल्यांकन कर सुधार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षकों को फीडबैक प्रदान करेंगे। संस्था प्रधान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम हेतु दिशा-निर्देशों के अनुरूप शिक्षण कार्य, विद्यार्थियों का नामांकन, मूल्यांकन, गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट इत्यादि समस्त गतिविधियों का रिकॉर्ड नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है।
- k) **व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों का मूल्यांकन:** कौशल मित्र और व्यावसायिक प्रशिक्षक के साथ संस्था प्रधान व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों का वार्षिक मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होंगे। संस्था प्रधान द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों से बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरवाकर व्यावसायिक प्रशिक्षकों एवं विद्यार्थियों

को परीक्षा की समय-सारणी (शेड्यूल) उपलब्ध करवाया जायेगा। विद्यार्थी के परीक्षा फार्म में कोई त्रुटि होने की स्थिति में उचित समयावधि में त्रुटियों में सुधार के लिये संस्था प्रधान उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त बाह्य मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी प्रपत्रों व दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रिकॉर्ड संधारण हेतु एक प्रति विद्यालय में संधारित करेंगे।

- l) **रिपोर्टिंग और अनुपालना** :- संस्था प्रधान द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षक, कौशल मित्र की सहायता से व्यावसायिक शिक्षा योजना से संबंधित रिपोर्ट जिला व राज्य कार्यालय को समय पर प्रस्तुत की जाये। संस्था प्रधान शाला दर्पण पोर्टल पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों की दैनिक उपस्थिति, नामांकन सहित व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित समस्त प्रविष्टि नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। संस्था प्रधान व्यावसायिक प्रशिक्षक की मासिक उपस्थिति एवं स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर की विजिट रिपोर्ट को सत्यापित कर जिला कार्यालय और संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को प्रेषित करेंगे।
- m) **समग्र मूल्यांकन**: संस्था प्रधान व्यावसायिक शिक्षा योजना के वार्षिक मूल्यांकन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षकों और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। संस्था प्रधान विद्यालय में व्यावसायिक योजना की प्रभावशीलता का विश्लेषण कर व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं विद्यार्थियों हेतु रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि करने के लिए वांछित सुधार करेंगे।
- n) संस्था-प्रधान द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों के शिक्षण कार्य का अवलोकन, उनके द्वारा संधारित की गई दैनिक डायरी, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो, प्रशिक्षण की साप्ताहिक एवं मासिक योजना साथ ही उनकी मासिक उपस्थिति का प्रमाणीकरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से किया जायेगा।
- o) संस्था-प्रधान द्वारा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षा विषय के शिक्षण हेतु अलग से उपस्थिति रजिस्टर संधारित कर प्रमाणीकरण किया जायेगा तथा व्यावसायिक शिक्षा योजना के सम्बंध में आगन्तुकों द्वारा दी जाने वाली टिप्पणी हेतु विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा विजिटर रजिस्टर का संधारण किया जाना है।

(D) कौशल मित्र के कार्य एवं उत्तरदायित्व

व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय में नामित 'कौशल मित्र' के प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार है:—

- **उद्देश्य** :— विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रभावी संचालन, मॉनिटरिंग तथा योजना से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक वरिष्ठ शिक्षक **कौशल मित्र** के रूप में कार्य सम्पादित करेगा।
- **कौशल मित्र चयन** :— विद्यालय का संस्था प्रधान विशेष आदेश के माध्यम से विद्यालय के एक वरिष्ठ राजकीय शिक्षक (यथा संभव—सेकेण्ड ग्रेड अध्यापक) को कौशल मित्र के रूप में नामित करेंगे। नामित कौशल मित्र की सूचना जिला व राज्य कार्यालय को दी जायेगी तथा परिवर्तन की स्थिति में नवीन नामित कौशल मित्र की सूचना जिला और राज्य कार्यालय को प्रेषित की जाये।
- **कार्य एवं उत्तरदायित्व** :—
 - a) **अध्ययन योजना निर्माण में सहायता** — कौशल मित्र, वार्षिक व मासिक अध्ययन योजना, व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों की समय—सारणी और पाठ योजना निर्माण में संस्था प्रधान, व्यावसायिक प्रशिक्षक और स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
 - b) **प्रयोगशाला स्थापना** — कौशल मित्र, व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशाला स्थापना हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षक और संस्था प्रधान को सहायता प्रदान करेगा।
 - c) **प्रयोगशाला सामग्री का क्रय और रखरखाव** :— कौशल मित्र, व्यावसायिक प्रशिक्षक की सहायता से प्रयोगशाला हेतु आवश्यक कच्ची सामग्री का आकलन कर क्रय हेतु अनुमोदन के लिए संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा।
 - d) **मूल्यांकन** : कौशल मित्र, मासिक, अर्द्ध—वार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन में व्यावसायिक प्रशिक्षक, स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर और संस्था प्रधान को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

- e) **स्किल एग्जीबिशन** – कौशल मित्र विद्यालय में स्किल एग्जीबिशन गतिविधि के आयोजन में सहयोग प्रदान करेगा। विद्यालय स्तर की स्किल एग्जीबिशन गतिविधि के आयोजन में सहयोग तथा जिला/राज्य स्तरीय प्रतिभागी विद्यार्थियों के साथ आने-जाने का उत्तरदायित्व कौशल मित्र का होगा।
- f) **बेस्ट प्रेक्टिस की पहचान:** कौशल मित्र, स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर व व्यावसायिक प्रशिक्षक की मदद से विद्यालय की व्यावसायिक शिक्षा की बेस्ट प्रेक्टिस की पहचान कर संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाते हुये ब्लॉक/जिला कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- g) **रिकॉर्ड संधारण व रिपोर्टिंग** – कौशल मित्र, व्यावसायिक प्रशिक्षक और स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर द्वारा प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेगा तथा विद्यालय स्तर पर नियमित रिकार्ड संधारण की मॉनिटरिंग का उत्तरदायित्व कौशल मित्र का होगा।
- h) कौशल मित्र विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा करवाये जा रहे शिक्षण कार्य का दैनिक अवलोकन करना व सप्ताह में एक बार अवलोकन रिपोर्ट तैयार कर प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करना करेगा।
- i) विद्यालय में प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक प्रशिक्षक एवं स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर की उपस्थिति, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों की रिपोर्ट एवं वाउचर्स प्रमाणीकरण का कार्य कौशल मित्र द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(A) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार हैं:-

1. **व्यावसायिक प्रशिक्षक नियोजन :-** राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा निविदा प्रक्रिया से चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के साथ अनुबन्ध (एमओयू) किया जायेगा। अनुबन्ध पश्चात कार्यादेश के आधार पर चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का नियोजन किया जायेगा। विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व व्यावसायिक प्रशिक्षक एवं सम्बन्धित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का होगा।
2. **प्रशिक्षण प्रदान करना:-**
 - a) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश तथा NCERT/PSSCIVE/RCSCE द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यालयों में कुशल एवं प्रभावी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पूर्व योजना, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग सम्बन्धित उत्तरदायित्व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का होगा।
 - b) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा विद्यालय स्तर से व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित साप्ताहिक/मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर डाटा एकत्र कर उसकी समेकित रिपोर्ट संधारित कर जिला/राज्य कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।
 - c) विद्यार्थियों और अभिभावकों से वार्तालाप एवं परामर्श कर व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता प्रदान करना।
3. **गेस्ट लेक्चर आयोजन:** व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता शैक्षणिक योजना के अनुसार आवश्यक विषय-वस्तु का चयन कर गेस्ट लेक्चर का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
4. **औद्योगिक भ्रमण और ऑन जॉब ट्रेनिंग/इंटरनशिप:-** औद्योगिक ईकाई/संस्थानों में विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण और ऑन जॉब ट्रेनिंग/इंटरनशिप की सुविधा प्रदान करना।
5. **मूल्यांकन:-** व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों के आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।

6. कैरियर काउंसलिंग, कैरियर मैपिंग, प्लेसमेंट और प्लेसमेंट प्राप्त विद्यार्थियों की ट्रेकिंग करना:—

- व्यावसायिक शिक्षा में नामांकित सभी विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग प्रदान किया जाना।
- विद्यार्थियों में कैरियर मैपिंग की समझ पैदा कर करियर चयन में सहायता प्रदान करना।
- उच्च शिक्षा, अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की पहचान किया जाना।
- विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए परामर्श सत्र आयोजित करना।
- सभी इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इंटरनशिप का आयोजन करना।
- 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी इच्छुक विद्यार्थियों को प्लेसमेंट अवसर प्रदान किया जाना।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के बाद कम से कम एक वर्ष की अवधि तक ट्रेकिंग करेंगे।

7. मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग: व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सभी व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों के आयोजन की मॉनिटरिंग की जायेगी तथा उनका आवश्यक डाटा एकत्रित कर समेकित रिपोर्ट संधारित की जायेगी।

8. बेस्ट प्रेक्टिस:— व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक विद्यालय की बेस्ट प्रेक्टिस की रिपोर्ट दो बार जिला और राज्य कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।

9. व्यावसायिक प्रशिक्षकों का वार्षिक मूल्यांकन: गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों का निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा:—

क्र.सं.	वार्षिक मूल्यांकन मानदंड	अंक
1	व्यावसायिक प्रशिक्षक का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान	10
2	नवाचारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग।	10
3	व्यावसायिक शिक्षा विषय में शिक्षण, अधिगम सामग्री का विकास।	10
4	रोजगार हेतु पंजीकृत विद्यार्थियों (12वीं पास विद्यार्थी) की संख्या।	5
5	राज्य स्तरीय स्किल एग्जीबिशन कम कम्पीटिशन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या।	5
6	कक्षा 10वीं एवं 12वीं के व्यावसायिक विद्यार्थियों के परिणामों में सुधार।	5
7	विद्यार्थी नामांकन में सुधार और ड्रॉपआउट अनुपात को कम करना।	5
	योग	50

व्यावसायिक प्रशिक्षकों की उक्त वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अप्रैल माह में जिला कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।

(B) व्यावसायिक प्रशिक्षक

व्यावसायिक प्रशिक्षक के प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार है:—

योजना निर्माण —

- 1 शिक्षण योजना :** व्यावसायिक प्रशिक्षक, व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों की विद्यालय वार्षिक योजना निर्माण में स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर की सहायता करेगा। वार्षिक योजना शैक्षणिक सत्र के प्रथम सप्ताह में तैयार की जायेगी।
- 2 पाठ योजना का निर्माण :** व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और समय सारिणी के अनुसार शैक्षणिक सत्र के प्रथम सप्ताह में मासिक व वार्षिक पाठ योजना तैयार की जायेगी।
- 3 प्रयोगशाला रखरखाव :** व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में प्रयोगशाला के संचालन हेतु आवश्यक कच्ची सामग्री (रॉ मटेरियल) का आंकलन संधारित कर रिपोर्ट संस्था-प्रधान को प्रस्तुत की जायेगी।

क्रियान्वयन —

- 1. विद्यार्थियों और अभिभावकों में जागरूकता :—** कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा से पहले व्यावसायिक प्रशिक्षक व्यावसायिक शिक्षा के परिचय और महत्व के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यालय में काउंसलिंग करेंगे तथा प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यार्थियों को परामर्श भी प्रदान करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यालय में प्रवेशोत्सव के दौरान एक व्यावसायिक शिक्षा कॉर्नर तैयार किया जायेगा, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा, इसके महत्व, सेक्टर, जॉब रोल, गतिविधियों, रोजगार के अवसरों इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदर्शित होगी। व्यावसायिक प्रशिक्षक पीटीएम और एसडीएमसी बैठकों के दौरान अभिभावकों से संवाद करेंगे।
- 2. सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण:—** व्यावसायिक प्रशिक्षक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अनुरूप समय सारिणी के अनुसार व्यापक प्रायोगिक और सैद्धान्तिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अवधारणाओं की गहन समझ और अनुप्रयोग सुनिश्चित करने हेतु शिक्षण सहायक सामग्री और आईसीटी उपकरणों का प्रभावी उपयोग किया जायेगा। कक्षा 9वीं व 10वीं में व्यावसायिक शिक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम को 200 घण्टे में तथा कक्षा 11वीं व 12वीं हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम को 300 घण्टे में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करेगा और इस हेतु अतिरिक्त कालाश भी लिये जाने हेतु बाध्य होगा। यह अतिरिक्त कालाश 'नो बेग डे' व सामान्य दिवसों में भी लिये जा सकेंगे।

3. **दैनिक डायरी और विद्यार्थी पोर्टफोलियो:** व्यावसायिक प्रशिक्षक प्रतिदिन दिए जाने वाले प्रशिक्षण के विवरण हेतु दैनिक डायरी तथा विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो संधारित करेगा।
4. **विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पहचान :** व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचि और प्राथमिकता को पहचान कर उनके सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने के लिए तदनुसार शिक्षण विधियों और रणनीतियों का प्रयोग किया जायेगा।
5. **विद्यार्थियों के कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन :** व्यावसायिक प्रशिक्षक नियमित रूप से विद्यार्थियों का मासिक परीक्षण, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यार्थियों के वार्षिक मूल्यांकन (बाह्य और आंतरिक दोनों) के दौरान बोर्ड फॉर्म भरने, उपस्थित विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को संधारित करने आदि कार्यों में सहायता प्रदान करेगा तथा विद्यालय रिकॉर्ड के लिए दस्तावेजों की एक प्रति संधारित रखेगा।
6. **प्रयोगशाला स्थापना:** व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यालय में संस्था-प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाये गये उपकरणों/सामग्री के साथ व्यावसायिक प्रयोगशाला स्थापित कर सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा कौशल मित्र और स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर की सहायता से प्रयोगशाला लेआउट (डिजाइन) निर्धारित किया जायेगा।
7. **गेस्ट लेक्चर और औद्योगिक भ्रमण:—** व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर और संस्था-प्रधान की सहायता से गेस्ट लेक्चर की विषय-वस्तु का निर्धारण कर निर्धारित समय पर आयोजन कराना सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण से सम्बन्धित समस्त जानकारी प्रदान करते हुए आयोजन करवायेगा।
8. **ऑन जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी)/इंटरनशिप आयोजन:** व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यार्थियों को ओजेटी/इंटरनशिप की समस्त जानकारी प्रदान कर ट्रेनिंग के दौरान मॉनिटरिंग करेंगे। औद्योगिक ईकाई/संस्थान के साथ नियमित सम्पर्क कर विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर फीडबैक लेगा तथा विद्यार्थियों को इंटरनशिप लॉग बुक तैयार करने व रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
9. व्यावसायिक प्रशिक्षक को एक वर्ष में कुल 12 अवकाश देय हैं, अर्थात् एक अवकाश प्रतिमाह दिया जा सकता है। यदि किसी कारणवश चालू माह में अवकाश नहीं लिया हो तो आने वाले महीनों में बकाया अवकाश का अलग से उल्लेख करें।
10. यदि व्यावसायिक प्रशिक्षक सार्वजनिक अवकाश के पूर्व बिना स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो कार्य पर वापस आने तक अनुपस्थित माना

जावेगा। यदि सार्वजनिक अवकाश से पूर्व उपस्थित रहता है तथा सार्वजनिक अवकाश के पश्चात् अनुपस्थित रह जाता है व पूर्व में अवकाश हेतु स्वीकृति ली गई है तो उक्त सार्वजनिक अवकाश का भुगतान देय होगा, पूर्व में अवकाश की स्वीकृति नहीं लेने की स्थिति में इस प्रकार के अवकाश का भुगतान नहीं किया जावेगा।

मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग –

व्यावसायिक प्रशिक्षक विद्यार्थी नामांकन, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन, गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण, इन्टर्नशिप और जॉब प्लेसमेंट सहित समस्त रिकार्ड संधारित करेगा तथा संस्था-प्रधान व कौशल मित्र की सहायता से इनकी शाला दर्पण पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि सुनिश्चित करेगा।

(C) स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर

स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर के प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार हैं:-

1. व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों की योजना –

- a) **शिक्षण योजना:-** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर विद्यालय के संस्था-प्रधान, व्यावसायिक प्रशिक्षक और कौशल मित्र के समन्वय से व्यावसायिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों का पाठ्यक्रम के अनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण के मासिक व वार्षिक शिक्षण योजना का निर्माण करेगा। वार्षिक पाठ योजना निर्माण में व्यावसायिक प्रशिक्षक और कौशल मित्र की सहायता करेगा।
- b) **मूल्यांकन योजना-** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में मासिक और अर्द्ध-वार्षिक मूल्यांकन स्वरूप तथा शेड्यूल बनाने में संस्था-प्रधान एवं कौशल मित्र को सहयोग करेगा।
- c) **उद्योग संपर्क (लिंकेज)-** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में ऑन जॉब ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप व औद्योगिक भ्रमण के लिए सेक्टर से सम्बन्धित स्थानीय औद्योगिक ईकाईयों/संस्थानों की पहचान उपरान्त उनसे सम्पर्क स्थापित कर उद्योगों का सम्पर्क-पूल बनायेगा।
- d) **सेक्टर विशेषज्ञों एवं स्थानीय आर्टिजन की पहचान –** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों के लिए सेक्टर से सम्बन्धित स्थानीय विशेषज्ञों एवं आर्टिजन की पहचान के पश्चात पूल स्थापित कर उसे संस्था-प्रधान से प्रमाणित करवायेगा।
- e) **विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सत्र –** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग /परामर्श सत्र की योजना निर्माण करेगा।

2. व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों का क्रियान्वयन –

- a) **गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन:-** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण योजना के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
- b) **विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय:-** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण योजना के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण योजना के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षक, कौशल मित्र, संस्था-प्रधान, सीबीईओ एवं एडीपीसी के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित करेगा। स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर माह में कम से कम एक बार सम्बन्धित एडीपीसी के साथ बैठक कर व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों के संचालन की अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही प्रत्येक तिमाही में एक बार सम्बन्धित सीबीईओ के साथ बैठक कर अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा।
- c) **सन्दर्भ व्यक्तियों और उद्योग सम्पर्क:-** स्किल नॉलेज फेसिलिटेटर ब्लॉक एवं जिला स्तर पर सेक्टर विशेषज्ञ एवं स्थानीय आर्टिजन के साथ सम्पर्क बनाये रखना तथा विद्यालय स्तर पर उनकी उपयोगिता सुनिश्चित करेगा।

- d) **विद्यार्थी और अभिभावक काउंसलिंग सत्र** – स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग /परामर्श सत्र की व्यवस्था करेगा। सत्र में अभिभावकों से परिणाम और विद्यार्थी प्रगति जानने के लिए प्रत्येक विद्यालय की कम से कम एक एसडीएमसी और एक अभिभावक शिक्षक बैठक में भाग लेगा।
- e) **जिला अधिकारियों के साथ बैठक**:- स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर विद्यालय योजना, मासिक प्रगति, अनुपालना रिपोर्ट और अन्य आवश्यक रिपोर्ट जमा करने के लिए माह में एक बार सम्बन्धित एडीपीसी, एपीसी एवं पीओ के साथ बैठक आयोजित करेगा।

4. मॉनिटरिंग –

- a) **व्यावसायिक शिक्षा योजना की नियमित मॉनिटरिंग**— स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर सभी व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों की प्रगति और क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक माह में एक बार सभी आवंटित विद्यालयों का विजिट करेगा। विजिट उपरान्त छात्र नामांकन, मूल्यांकन, व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थिति, गतिविधि वार स्थिति व परिणाम सहित सभी आवश्यक रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट संधारित कर जिला एवं राज्य कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- b) **फीडबैक प्राप्त करना**— स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर सभी विद्यार्थियों, संस्था-प्रधान, कौशल मित्र, व्यावसायिक प्रशिक्षक एवं अभिभावकों से व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों के सम्बन्ध में फीडबैक प्राप्त करेगा। विद्यार्थियों से चर्चा के आधार पर एग्जिट सर्वे फॉर्म भी भरेगा।
- c) **राज्य कार्यालय में त्रैमासिक बैठक**— स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर प्रत्येक तिमाही में एक बार गतिविधियों के समस्त रिकॉर्ड और आगामी योजनाओं के साथ राज्य कार्यालय की बैठक में उपस्थित होगा।
- d) **निरंतर वांछित सुधार**— स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर आवंटित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना के सभी पहलुओं के निरंतर सुधार में आवश्यक योगदान प्रदान करेगा।
- e) **बेस्ट प्रेक्टिस**:- स्किल नॉलेज फेसिलिलेटर द्वारा शैक्षणिक वर्ष में दो बार प्रत्येक विद्यालय की बेस्ट प्रेक्टिस की पहचान कर उसकी रिपोर्ट जिला और राज्य कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।

मानदेय पुनर्भरण, अन्य व्यय के भुगतान संबंधित दिशा-निर्देश –

1. राज्य कार्यालय द्वारा चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को आवंटित किये गये विद्यालयों में नियोजित किये गये व्यावसायिक प्रशिक्षकों/स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर के मानदेय एवं अन्य व्यय आदि से सम्बन्धित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत की गई पत्रावलियों के पुनर्भरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया जिला कार्यालय द्वारा सम्पादित की जाएगी।
2. जिले में संचालित समस्त विद्यालयों के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) से माहवार एक ही बिल प्राप्त किया जावे। (विद्यालय या व्यवसायवार पृथक-पृथक नहीं)
3. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर का मानदेय एवं कार्यालय व्यय से सम्बन्धित पुनर्भरण बिल उन्हें सर्वाधिक आवंटित विद्यालयों वाले जिले में प्रस्तुत किया जायेगा। स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर का विद्यालय विजिट प्रपत्र संबंधित संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के दोनों पृष्ठ पर संस्था प्रधान के सील व हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है।
4. चयनित विद्यालयों में निविदा संख्या 21/2024-25 से चयनित स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर प्रदाता (SKFP) के द्वारा 15 से 19 विद्यालयों पर एक स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर नियुक्त किया गया है (किसी जिले में 30 से कम विद्यालय होने की स्थिति में स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर में बराबर विद्यालयों का आवंटन किया जाना है)। जिसके द्वारा प्रत्येक माह इनमें से न्यूनतम 15 विद्यालयों का निरीक्षण अर्थात् प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक विद्यालय का कम से कम दो बार निरीक्षण करना अनिवार्य है।
उक्त निविदा के अतिरिक्त नियोजित व्यावसायिक समन्वयकों/स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर को 30 विद्यालयों का आवंटन किया जाना है। जिनमें से प्रति माह 22 विद्यालय अर्थात् 3 माह में प्रति विद्यालय दो बार निरीक्षण किया जाना है।
व्यावसायिक समन्वयकों/स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर कम विद्यालय निरीक्षण करने की स्थिति में अनुपातिक रूप से स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर के मानदेय में कटौती एवं राशि रु. 500/- प्रति विद्यालय पैनल्टी की जावेगी। स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर को उक्तानुसार निर्धारित विजिट के गुणक से कम विद्यालय आवंटित होने की स्थिति में कम विजिट होने पर कोई पैनल्टी आरोपित नहीं होगी।
5. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर द्वारा विद्यालय विजिट से संबंधित खर्चों हेतु अधिकतम 300/-रु चाय, नाश्ता, भोजन के लिए तथा 500/-रु प्रतिदिन आवास व्यवस्था हेतु देय है।

6. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर द्वारा की गई यात्राओं से संबंधित यात्रा विवरण (Tour Programme) के साथ खर्च का विवरण दिनांकवार तैयार कर बिल/रसीद/टिकिट की मूल प्रति पर Paid by me लिखा जाना आवश्यक है।
7. कार्यालय व्यय के वाउचर देयक के साथ मूल ही प्रस्तुत करें, जो प्रिण्टेड बिल, लेटरपेड, अथवा रबड़सील (प्रिण्टेड व्यवस्था नहीं होने पर) पर ही हो, जिस पर फर्म का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान व मोबाइल न. अंकित हो एवं भुगतान प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर हो।
8. कार्यालय व्यय के समस्त वाउचरों की संबंधित माह की मूल प्रति (ऑरिजनल) ही संलग्न हो, किसी भी वाउचर्स की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। कार्यालय व्यय में निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज किये जाने पर कटौती की जाएंगी।
9. व्यावसायिक प्रशिक्षक को अनुबंध के अनुसार एक वर्ष में कुल 12 अवकाश देय हैं, अर्थात् एक अवकाश प्रतिमाह दिया जा सकता है। यदि किसी कारणवश चालू माह में अवकाश नहीं लिया हो तो आने वाले महीनों में बकाया अवकाश का अलग से उल्लेख होगा। निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त अवकाश लेने की स्थिति में मानदेय की माह के दिवस के अनुसार आनुपातिक कटौती की जायेगी।
10. यदि व्यावसायिक प्रशिक्षक सार्वजनिक अवकाश के पूर्व बिना स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो कार्य पर वापस आने तक अनुपस्थित माना जावेगा। यदि सार्वजनिक अवकाश से पूर्व उपस्थित रहता है तथा सार्वजनिक अवकाश के पश्चात् अनुपस्थित रह जाता है व पूर्व में अवकाश हेतु स्वीकृति ली गई है तो उक्त सार्वजनिक अवकाश का भुगतान देय होगा, पूर्व में अवकाश की स्वीकृति नहीं लेने की स्थिति में इस प्रकार के अवकाश का भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा नियोजित किये जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों को निर्धारित तिथि तक नियोजित नहीं करने पर राशि रु. 500/— प्रतिदिन प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षक की गणना से पैनल्टी आरोपित होगी।
12. व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा बिना अनुमति के 04 कार्य दिवस अनुपस्थित एवं 07 कार्य दिवस अनुमति लेने के पश्चात् अनुपस्थित रहने की स्थिति में राशि रु. 500/— प्रतिदिन पैनल्टी की जायेगी एवं प्रशासनिक व्यय में भी अनुपातिक कटौती की जायेगी।
13. प्रत्येक कक्षा हेतु प्रतिमाह 01 गेस्ट लेक्चर निर्धारित है। गेस्ट लेक्चर आयोजित नहीं होने की स्थिति में राशि रु. 100/— प्रति गेस्ट लेक्चर पैनल्टी कटौती की जाएंगी। माह मई, जून (ग्रीष्मावकाश) एवं अर्द्धवार्षिक/वार्षिक परीक्षा/राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों हेतु घोषित अवकाश की समयावधि में सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा मूल प्रमाण पत्र (गेस्ट लेक्चर आयोजित न करवाये जा सकने का कारण सहित) संलग्न होने पर पैनल्टी कटौती नहीं की जावेगी।

14. कक्षा 9 व कक्षा 10 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सेक्टर 3 माह में एक बार औद्योगिक भ्रमण (प्रति वर्ष 03) का प्रावधान है, औद्योगिक भ्रमण नहीं होने की स्थिति में 2000/- प्रति भ्रमण पैनल्टी का प्रावधान है।
15. कक्षा 11 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों हेतु कुल 80 घण्टे का ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रावधान है, ऑन जॉब ट्रेनिंग निर्धारित तिथियों में आयोजित नहीं करवाने पर प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस राशि रुपये 100/- पैनल्टी का प्रावधान है।
16. औद्योगिक भ्रमण/ओजेटी पर किये जाने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित विद्यार्थी द्वारा निर्धारित मद से किया जायेगा। उक्त गतिविधियों के सम्पादित किये जाने का प्रमाणीकरण व्यावसायिक प्रशिक्षक के उपस्थिति प्रमाण पत्र पर संस्था प्रधान द्वारा इन्द्राज किया जावेगा।
17. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा प्रस्तुत बिल में से की गई कटौती का कारण संस्था को पत्र/ईमेल द्वारा अवगत करवाया जावेगा तथा संस्था द्वारा 05 दिवस में स्पष्टीकरण एवं संबंधित दस्तावेज जिला कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जावे, स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में कटौती को अंतिम रूप दिया जाये।
18. उक्त के अतिरिक्त जिला स्तर पर बिलों का पुनर्भरण करते समय निविदा/ईओआई की शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार पत्रावलियों का निस्तारण किया जाये।

व्यावसायिक प्रशिक्षक उपस्थिति प्रमाण पत्र-अ

विद्यालय का नाम:-.....

ब्लॉक.....जिला.....

दूरभाष नम्बर.....मेल आईडी.....

प्रमाणित किया जाता है कि माहवर्ष..... में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालय में संचालित सेक्टरमें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षक/गतिविधियों की बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार है-

1. व्यावसायिक प्रशिक्षक (V.T.)की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

2. माह में आयोजित गेस्ट लेक्चर का विवरण:-

क्र. स	कक्षा	दिनांक	नामांकन	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (उपस्थित)	गेस्ट लेक्चर का विषय /Topic	विषय विशेषज्ञ का नाम	विषय विशेषज्ञ का पद व पदस्थापन/कार्यरत संस्थान
1	9						
2	10						
3	11						
4	12						

3. वर्तमान माह तक आयोजित औद्योगिक भ्रमण का विवरण:-

औद्योगिक भ्रमण	दिनांक	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	औद्योगिक ईकाई/ संस्था का नाम व पता	औद्योगिक भ्रमण पर किया गया व्यय	विशेष विवरण
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
योग					

हस्ताक्षर

नाम संस्था प्रधान मय मोबाईल नम्बर

4. माह में स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण :-

क्र.स	दिनांक	स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक द्वारा विद्यालय में की गई गतिविधियों का विवरण

5. माह में व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण:-

- a) प्रायोगिक कार्य हेतु माहवार योजना तैयार की गई है हाँ / नहीं
- b) गेस्ट लेक्चर एवं औद्योगिक भ्रमण/ओजेटी हेतु योजना तैयार की गई है हाँ / नहीं
- c) पाठ्यक्रम स्थिति (पूर्ण की जा चुकी ईकाईयों की संख्या)-
- d) नवाचार (यदि कोई किया गया हो)-
- e) व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रभावी संचालन हेतु किया गया अतिरिक्त प्रयास
- f) अन्य-

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षक के समस्त कार्य सन्तोषप्रद रहे हैं। अतः जिला कार्यालय द्वारा नियमानुसार भुगतान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

V.T. Attendance Detail for current Month						
Total Working Day in School	Present	Absent	On leave(Date)	Govt.Holiday (Date)	Principal Power/Other Power Holiday(Date)	Balance of Leaves

हस्ताक्षर

नाम संस्था प्रधान मय मोबाईल नम्बर

(नोट:-यह प्रारूप जुलाई, 2025 से उपस्थिति प्रमाणित करने हेतु लागू होगा)

स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक निरीक्षण प्रपत्र-ब

1. जिले का नाम..... निरीक्षण दिनांक.....
2. VTP का नाम.....
3. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक का आवंटित जिला मुख्यालय.....
4. विद्यालय का नाम.....
5. संस्था प्रधान का नाम.....मोबाईल.....
6. कौशल मित्र का नाम व मोबाईल नम्बर.....
7. निरीक्षण दिवस को व्यावसायिक प्रशिक्षक की उपस्थिति
8. स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक का नाम व मोबाईल नं.....
9. विद्यालय में आवंटित/संचालित सेक्टर का नाम.....
10. व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत नामांकित विद्यार्थियों का विवरण।

ट्रेड/सेक्टर का नाम	कक्षा 9			कक्षा 10			कक्षा 11			कक्षा 12		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T

11. निरीक्षण दिवस में विद्यार्थियों की उपस्थिति।

ट्रेड/सेक्टर का नाम	कक्षा 9			कक्षा 10			कक्षा 11			कक्षा 12		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T

12. विद्यार्थियों को कार्यपुस्तिका की उपलब्धता। हाँ/नहीं
13. प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु राशि। प्राप्त/अप्राप्त
14. सेक्टरवार प्रयोगशाला की स्थिति

सेक्टर का नाम	पूर्ण स्थापित	आंशिक स्थापित	स्थापित नहीं	सामग्री की उपलब्धता पर्याप्त/अपर्याप्त
सेक्टर-1				
सेक्टर-2				

हस्ताक्षर
स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक

हस्ताक्षर
संस्था प्रधान

15. निरीक्षण दिनांक तक आयोजित कराये गये गेस्ट लेक्चर का विवरण :-

क्र. स	कक्षा	दिनांक	नामांकन	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या (उपस्थित)	गेस्ट लेक्चर का विषय /Topic	विषय विशेषज्ञ का नाम	विषय विशेषज्ञ का पद व पदस्थापन/कार्यरत संस्थान
1	9						
2	10						
3	11						
4	12						

16. निरीक्षण दिनांक तक आयोजित औद्योगिक भ्रमण का विवरण:-

औद्योगिक भ्रमण	दिनांक	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	औद्योगिक ईकाई/ संस्था का नाम व पता	औद्योगिक भ्रमण पर किया गया व्यय	विशेष विवरण
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
योग					

17. व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रभावी संचालन हेतु विद्यालय में स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विवरण- (सभी कॉलम आवश्यक रूप से भरें।)

क्र. सं.	किये जाने वाले कार्यों का विवरण	(हाँ/नहीं)
1	गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण व आन जॉब ट्रेनिंग की माहवार प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में कार्य किया गया।	
2	औद्योगिक ईकाई/संस्थानों के साथ लिंकेज स्थापित किया गया।	
3	सैद्धान्तिक व प्रायोगिक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु कार्ययोजना निर्माण।	
4	गृह कार्य/प्रायोगिक कार्य का निरीक्षण किया गया।	
5	नवाचार हेतु कार्ययोजना निर्माण/आयोजन।	

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर/व्यावसायिक समन्वयक
नाम व मोबाइल नम्बर

संस्था प्रधान
नाम मय पद एवं मोहर

(नोट:-यह प्रारूप जुलाई, 2025 से लागू होगा)

उक्तानुसार समस्त दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना कर समयबद्ध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों का आयोजन/संचालन सुनिश्चित करावे।

(अनुपमा जोरवाल)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर

क्रमांक: रास्कूशिप/जय/व्या.शि./दिशा-निर्देश/2025-26/1264 दिनांक 06/08/2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा व पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
02. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
04. निजी सहायक, निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
05. निजी सहायक, सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
06. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
07. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
08. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, रा. स्कूल शि.प., जयपुर।
09. अतिरिक्त निदेशक, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
10. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
11. उपायुक्त, शाला दर्पण, रा. स्कूल शि.प., जयपुर को पोर्टल पर व्यावसायिक शिक्षा टैब में अपलोड कराने हेतु।
12. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), समस्त संग्राम।
13. उपनिदेशक, आई.सी.टी., रा.स्कूल शि.प., जयपुर को पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में अपलोड कराने हेतु।
14. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त कार्यालय, समस्त जिले।
15. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त कार्यालय, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि दिशा-निर्देश की प्रति सम्बन्धित सी.बी.ई.ई.ओ., पी.ई.ई.ओ. एवं संस्था प्रधान (व्या.शि. संचालित विद्यालय) को भिजवाना सुनिश्चित करें।
16. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त सम्बन्धित ब्लॉक (राजस्थान)।
17. संस्था प्रधान, समस्त व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय (राजस्थान)।
18. रक्षित पत्रावली।

List of 549 PM Shri Schools

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
1	AJMER	8210810304	G.SR.SEC SCHOOL .KEKRI	Double Sector	IT/ITeS	Automotive
2	AJMER	8210524502	G.G.SR.SEC. CHAWNI BEAWAR	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
3	AJMER	8211504308	G.G.SR.SEC.S.GULABBARI AJMER	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
4	AJMER	8210112307	G.SR.SEC.SCHOOL KISHANGARH	Double Sector	IT/ITeS	Organized Retail
5	AJMER	8211609001	G.S.SEC. SCHOOL SARWAR	Double Sector	Automotive	Healthcare
6	AJMER	8210310305	G.VYAPARIK SR.SEC. NASIRABAD	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
7	AJMER	8210809903	G.G.SR.SEC.S. KADEDA	Single Sector	IT/ITeS	NA
8	AJMER	8210105714	G.SR.SEC.SCH SURSURA	Single Sector	Food Processing	NA
9	AJMER	8210403101	G.Sr.SEC.SCHOOL BIDKCHIYAVAS	Single Sector	Automotive	NA
10	AJMER	8210700105	G.SR.SEC.S. DEVLIAKALAN	Single Sector	IT/ITeS	NA
11	AJMER	8210309101	G.SR.SEC.SCH. LOHAGAL	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
12	AJMER	8210209701	G.SR.SEC.SCH. SIRONJ	Single Sector	Agriculture	NA
13	AJMER	8210619101	G.SEC.SCH DEVMAGRI	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
14	AJMER	8210804801	G.SECONDARY SCHOOL SANKARIYA	Single Sector	IT/ITeS	NA
15	AJMER	8210300201	G.SR.SEC.SCHOOL FARKIYA	Single Sector	Agriculture	NA
16	AJMER	8211610703	MAHATMA GANDHI GOVT.SCHOOL VIJAYDWAR SARWAR	Single Sector	IT/ITeS	NA
17	AJMER	8210401204	Govt Girls Senior Secondary School Nagelav	Single Sector	Healthcare	NA
18	AJMER	8210413502	MAHATMA GANDHI GOVT.SCHOOL.KENDRIYA PUSHKAR	Single Sector	Healthcare	NA
19	AJMER	8211600201	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAKVA	Single Sector	Agriculture	NA
20	ALWAR	8060414283	GOVT. SHSS (BOY) KHAIRTHAL	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS
21	ALWAR	8060622203	GOVT. SHSS (G) TIJARA	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
22	ALWAR	8060109301	GOVT. SHSS Girls BEHROR	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
23	ALWAR	8061403409	GOVT. AADARSH SHSS TASAI	Double Sector	IT/ITeS	Healthcare
24	ALWAR	8060407001	GOVT. ADARSH SHSS KHANPUR MEWAN	Double Sector	Agriculture	IT/ITeS
25	ALWAR	8060700101	GOVT. ADARSH SHSS ALAWADA	Double Sector	Healthcare	Organized Retail
26	ALWAR	8061205416	GOVT. ADARSH SHSS PINAN	Double Sector	Agriculture	Tourism & Hospitality
27	ALWAR	8060312514	GOVT. ADARSH SHSS JINDOLI	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
28	ALWAR	8060817718	GOVT. ADARSH SHSS NAVEEN ALWAR	Double Sector	Beauty & Wellness	Plumbing
29	ALWAR	8060403212	GOVT. SR.SEC. SCHOOL BAS KIRPAL NAGAR	Single Sector	Automotive	NA
30	ALWAR	8060910301	GOVT. SHSS CHATARPURA	Single Sector	IT/ITeS	NA
31	ALWAR	8061107513	GOVT. ADRASH SHSS SAKAT	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
32	ALWAR	8060100131	GOVT. ADARSH SHSS BHEEMRAJ BARDOD	Single Sector	Agriculture	NA
33	ALWAR	8061416154	GOVT. AADARSH SHSS KHERLI	Single Sector	Construction	NA
34	ALWAR	8061114897	GOVT. SHSS RAJGARH	Single Sector	Agriculture	NA
35	ALWAR	8060412501	GOVT. ADARSH SHSS RAYABKA	Single Sector	Automotive	NA
36	ALWAR	8061307601	GOVT. ADARSH SHSS BEECHGANV	Single Sector	IT/ITeS	NA
37	ALWAR	8060609502	GOVT. ADARSH SHSS KHDARPUR	Single Sector	Automotive	NA
38	ALWAR	8061313401	GOVT. ADARSH SHSS KHEDA MAHMOOD	Single Sector	Agriculture	NA
39	ALWAR	8060503701	GOVT. ADARSH SHSS TAUWAS	Single Sector	IT/ITeS	NA
40	ALWAR	8061004732	GOVT. ADARSH SHSS THANAGAZI	Single Sector	IT/ITeS	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
41	ALWAR	8060809901	GSSS KHAREDA	Single Sector	IT/ITeS	NA
42	ALWAR	8061300135	GOVT. ADARSH SHSS LAXMANGARH	Single Sector	Automotive	NA
43	ALWAR	8060812801	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANDIPURA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
44	ALWAR	8061011601	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL CHURANI	Single Sector	NA	NA
45	BANSWARA	8280301811	GOVT. SIN. SEC. SCHOOL KUPDA	Double Sector	IT/ITeS	Electronics & Hardware
46	BANSWARA	8280900215	GOVT. SEN. SEC. SCHOOL ARTHUNA	Double Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Automotive
47	BANSWARA	8280602718	GOVT. S. S. S BARODIYA	Double Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Automotive
48	BANSWARA	8280408114	GOVT. SEN. SEC. SCHOOL GARHI	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
49	BANSWARA	8280500115	GOVT GOVIND GURU S.SEC. ANANDPURI	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
50	BANSWARA	8280111801	GOVT. SIN. SEC.SCHOOL KHERWA	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
51	BANSWARA	8280217015	GOVT. SIN. SECS. CHOTI SARVAN	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
52	BANSWARA	8280401812	GOVT. SEN. SEC. SCHOOL LOHARIYA	Double Sector	Beauty & Wellness	Apparel Made-ups & Home Furnishings
53	BANSWARA	8280808406	GOVT. SIN. SEC.TIMEDA BADA	Double Sector	Automotive	Electronics & Hardware
54	BANSWARA	8281109201	GOVT. S. S. S. TANDINANI	Double Sector	Electronics & Hardware	IT/ITeS
55	BANSWARA	8281009809	GOVT. SIN. SEC. SCHOOL LIMTHAN	Double Sector	IT/ITeS	Plumbing
56	BANSWARA	8280706506	GOVT. SR. SECONDARY SCHOOL JALIMPURA	Double Sector	IT/ITeS	Organized Retail
57	BANSWARA	8281013506	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL, KHANDU COLONY BANSWARA	Single Sector	Organized Retail	NA
58	BANSWARA	8280405401	GOVT. SR. SEC. SCHOOL SAMAGADA	Single Sector	Automotive	NA
59	BARAN	8310210105	G.SR.SEC. SCHOOL SORSAN	Double Sector	Agriculture	Tourism & Hospitality
60	BARAN	8310607405	G.SR.SEC.SCHOOL GHATTI	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
61	BARAN	8310516256	G.SR.SEC. CHHIPABROD	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS
62	BARAN	8310703118	G. SR. SEC. SCHOOL SAMRANIYA	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS
63	BARAN	8310221701	G.G.S.SEC.S.	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
64	BARAN	8310424503	G.SR.SEC. SCHOOL CHHABRA	Double Sector	IT/ITeS	Healthcare
65	BARAN	8310219503	G. SR. SEC. SCHOOL ANTA W-22	Double Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Electronics & Hardware
66	BARAN	8310313423	GOVT. ADARSH SR.SEC.SCHOOL ATRU	Double Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Electronics & Hardware
67	BARAN	8310206436	G.SR. SEC. S. SISWALI	Double Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Electronics & Hardware
68	BARAN	8310312801	GOVT.SR.SEC.SCHOOL KAWAI	Single Sector	Telecom	NA
69	BARAN	8310100104	G.S.SEC.S. KOYLA	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
70	BARAN	8310108601	Govt sr sec school GAJANPURA	Single Sector	Healthcare	NA
71	BARMER	8170703319	GASSS DHANAU	Double Sector	Agriculture	Healthcare
72	BARMER	8171601726	GGSSS SAMDARI	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
73	BARMER	8170304421	GSSS GIRLS JASOL	Double Sector	Beauty & Wellness	Organized Retail
74	BARMER	8171108201	GSSS KHOKHASAR	Double Sector	Automotive	Tourism & Hospitality
75	BARMER	8171208801	GSSS SINDHASWA HARNIYAN	Double Sector	Agriculture	Electronics & Hardware

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
76	BARMER	8170637101	MAHATMA GANDHI RAJKEEY VIDYALAYA,STATION ROAD ,BARMER	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
77	BARMER	8170301602	GSSS GANDHI PURA	Double Sector	Beauty & Wellness	Plumbing
78	BARMER	8170200108	GSSS BAITU	Double Sector	Automotive	IT/ITeS
79	BARMER	8170645601	GSSS BHADAKHA	Double Sector	Security	IT/ITeS
80	BARMER	8170400149	GGSSS SIWANA	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
81	BARMER	8171507607	GSSS KHADIN	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS
82	BARMER	8170817802	GSSS KHATRIYO KI BERI	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
83	BARMER	8170515901	GSSS AMAR PURA	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
84	BARMER	8170900801	GSSS KAPRAU	Single Sector	IT/ITeS	NA
85	BARMER	8171708820	GSSS SONARI	Single Sector	Agriculture	NA
86	BARMER	8171702901	GSSS FAGLIYA	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
87	BARMER	8171202301	GSSS CHHOTU	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
88	BARMER	8171006113	GSSS GADRA ROAD TRFF	Single Sector	Automotive	NA
89	BARMER	8171304501	GSSS SARAWADI	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
90	BARMER	8171400104	MAHATMA GANDHI GOVERNMENT SCHOOL,MEGHWALO KA VAS PATODI	Single Sector	Automotive	NA
91	BARMER	8170127001	GSSS JHANPALI KALAN	Single Sector	Agriculture	NA
92	BARMER	8170500701	GSS KHARAMEHECHA	Single Sector	Agriculture	NA
93	BARMER	8170409004	GGSSS SCHOOL PADRU	Single Sector	IT/ITeS	NA
94	BARMER	8171207701	GSSS NAVA KUA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
95	BARMER	8170653302	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHERDI NADI	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
96	BARMER	8170802001	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL AALETI	Single Sector	Automotive	NA
97	BARMER	8171705901	GSSS MADAWA	Single Sector	Automotive	NA
98	BARMER	8171000501	MGSS SOLANKIYA	Single Sector	Agriculture	NA
99	BARMER	8171711301	GSSS MIYAJALE KI BERI	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
100	BHARATPUR	8070518299	GOVT. SR.SEC.SCHOOL SEWAR	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
101	BHARATPUR	8070720405	GOVT. SR.SEC. SCHOOL BHUSAWAR	Double Sector	Agriculture	Automotive
102	BHARATPUR	8070705420	GOVT SR. SEC. SCHOOL HALAINA	Double Sector	Agriculture	Automotive
103	BHARATPUR	8070717603	GOVT.SR.SEC. SCHOOL WEIR	Double Sector	Automotive	IT/ITeS
104	BHARATPUR	8070827102	GOVT SR SEC S BAYANA	Double Sector	Automotive	IT/ITeS
105	BHARATPUR	8070128405	GOVT SR SEC SCH. KAMAN	Double Sector	Automotive	IT/ITeS
106	BHARATPUR	8070901906	GOVT SR SEC. SCH. KHAN SURJAPUR	Double Sector	Tourism & Hospitality	Apparel Made-ups & Home Furnishings
107	BHARATPUR	8070308606	GOVT. SR. SEC. SEELA JOSHI SCH. BEHAJ	Double Sector	Organized Retail	IT/ITeS
108	BHARATPUR	8070519801	GOVT.SR.SEC.SCHOOL.MAHARAJ SAR	Double Sector	Electronics & Hardware	Apparel Made-ups & Home Furnishings
109	BHARATPUR	8070100401	GOVT SR.SEC. SABLANA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
110	BHARATPUR	8070903717	MAHATMA GANDHI GOVERNMENT. . SCHOOL . RUDAWAL	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
111	BHARATPUR	8070407506	GOVT SR. SEC. SCHOOL HELAK	Single Sector	Agriculture	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
112	BHARATPUR	8070609904	GOVT. SR. SEC. SCHOOL KATARA	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
113	BHARATPUR	8070200110	GOVT SR SEC SCHOOL GULPADA	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
114	BHARATPUR	8071006901	GOVT SR.SEC.SCHOOL KATHOL	Single Sector	IT/ITeS	NA
115	BHARATPUR	8070902104	GOVT.SH. R.BABU SR. SEC.SCH.UCHCHAIN	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
116	BHARATPUR	8070515301	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MANHAGAYA SEWAR BPR	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
117	BHILWARA	8240501212	G.S.S.S. GYAANGARH	Double Sector	Agriculture	Beauty & Wellness
118	BHILWARA	8240518632	G.S.S.S MANDAL	Double Sector	Banking, Financial Services & Insurance	Food Processing
119	BHILWARA	8241101604	G.S.S.S. DHAMNIYA	Double Sector	Food Processing	Electronics & Hardware
120	BHILWARA	8240916403	G.S.S.S. VISHNIA	Double Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Beauty & Wellness
121	BHILWARA	8240326303	VEER MATA MANIKA KANWAR G.G.S.S. SHAHPURA	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
122	BHILWARA	8240728905	G.S.S.S. GANGAPUR	Double Sector	Electronics & Hardware	Tourism & Hospitality
123	BHILWARA	8241141802	G.S.S.S.MAHARANA MADAL GHAR	Double Sector	Automotive	IT/ITeS
124	BHILWARA	8241026100	GOVT. MAHARANA S.S.S. JAHAPUR	Double Sector	IT/ITeS	Automotive
125	BHILWARA	8240203113	G.H.S.S. HURDA	Double Sector	IT/ITeS	Automotive
126	BHILWARA	8240400116	G.S.S.S. AKSHAY SMARAK BANERA	Double Sector	Organized Retail	Healthcare
127	BHILWARA	8240308111	G.HR..SEC. KOTHIAN	Double Sector	IT/ITeS	Healthcare
128	BHILWARA	8240849902	G.G.S.S.S. BAPU NAGAR	Double Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Beauty & Wellness
129	BHILWARA	8240207603	G.G.U.S.S. GULABPURA	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
130	BHILWARA	8241016701	G.S.S.S. BANKRA	Single Sector	IT/ITeS	NA
131	BHILWARA	8240122305	G.S.S.S. ASIND	Single Sector	Agriculture	NA
132	BHILWARA	8240118701	G.S.S.S. CHATARPURA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
133	BHILWARA	8241202203	G.S.S. KANSYA	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
134	BHILWARA	8240602701	G.S.S.S. KHEMANA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
135	BHILWARA	8240806603	G.S.S.S. KODUKOTA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
136	BHILWARA	8240811317	G.S.S.S. HAMEERGARH	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
137	BIKANER	8030126015	G.SR.SEC.SCHOOL sardul Bikaner	Double Sector	Automotive	Tourism & Hospitality
138	BIKANER	8030510502	G.SR.SEC. SCHOOL SHRIDUNGARGARH	Double Sector	Electronics & Hardware	Plumbing
139	BIKANER	8030421103	G.SR.SEC.SCHOOL BABA CHHOTU NATH	Double Sector	Retail	Beauty & Wellness
140	BIKANER	8030125808	G. KARNI ADARSH SR.SEC.SCHOOL DESHNOK	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS
141	BIKANER	8030410801	GOVT.ADARSH SR.SEC.SCHOOL, MORKHANA ATHUNA	Single Sector	IT/ITeS	NA
142	BIKANER	8030609101	G.SEC.SCHOOL, DANDI	Single Sector	IT/ITeS	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
143	BIKANER	8030703704	G.SR.SEC.SCHOOL NATHUSAR	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
144	BIKANER	8030310014	G.SR.SEC. SCHOOL GODU	Single Sector	Construction	NA
145	BIKANER	8030302801	G. SR.SEC. SCHOOL, BHELU	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
146	BIKANER	8030500901	G.SR.SEC.SCHOOL, KITASAR	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
147	BIKANER	8030208502	G.SR.SEC.SCHOOL SANSKRIT, KHODALA	Single Sector	IT/ITeS	NA
148	BIKANER	8030602801	G.SR.SEC.SCHOOL, 22 KYD KHAJUWALA	Single Sector	IT/ITeS	NA
149	BIKANER	8030104607	G.SR.SEC.SCHOOL GADHWALA	Single Sector	Agriculture	NA
150	BIKANER	8030603226	MAHATMA GANDHI GOVT SCHOOL KHAJUWALA	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
151	BIKANER	8030412003	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL HIMMATSAR	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
152	BIKANER	8030504802	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL KEU PURANI	Single Sector	Automotive	NA
153	BUNDI	8230211305	GOVT. Hr. SEC SCHOOL MAYAJA	Double Sector	IT/ITeS	Organized Retail
154	BUNDI	8230518206	GOVT. Sr.SEC. SCHOOL BUNDI	Double Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Beauty & Wellness
155	BUNDI	8230322304	GOVT. AADRESH HR..SEC. SCHOOL NAINWA	Double Sector	Organized Retail	Healthcare
156	BUNDI	8230120415	GOVT .AADAESH Hr.SEC.SCHOLL DHOWDA	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
157	BUNDI	8230306601	GOVT.AADRSH HR. SEC. JAIPUR	Double Sector	IT/ITeS	Healthcare
158	BUNDI	8230405005	GOVT. SR. SECONDARY BARUNDHAN	Single Sector	Construction	NA
159	BUNDI	8230504904	GOVT. SR. SEC. RAMGANJ	Single Sector	Construction	NA
160	BUNDI	8230229801	GOVT. Sr. SEC. SCHOOL W.N.12 INDERGARH	Single Sector	Agriculture	NA
161	BUNDI	8230231802	GOVT. Sr. SEC. SCHOOL W.N. 20 KAPREN	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
162	BUNDI	8230226903	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SHANKARPURA LAKHERI (461948)	Single Sector	Automotive	NA
163	CHITTAURGARH	8290525502	MAHATMA GANDHI GOVT SCHOOL STATION CHITTORGARH	Double Sector	Beauty & Wellness	Tourism & Hospitality
164	CHITTAURGARH	8290428701	H.SEC. RAWATBHATA - 11	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
165	CHITTAURGARH	8290908108	GOVT.S.SEC.SCHOOL BANSEN	Double Sector	IT/ITeS	Healthcare
166	CHITTAURGARH	8291017203	GOVT SIN SEC SCHOOL NIMBAHERA	Double Sector	IT/ITeS	Healthcare
167	CHITTAURGARH	8291217003	GOVT GIRLS SR.SEC.SCHOOL BARISADRI	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
168	CHITTAURGARH	8290327401	GOVT GIRLS SENI.SEC.SCHOOL BEGUN	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
169	CHITTAURGARH	8291210920	Govt. SEN. SEC.SCHOOL BOHEDA	Double Sector	Healthcare	Apparel Made-ups & Home Furnishings
170	CHITTAURGARH	8291009401	GOVT. SR.SEC.SCHOOL JAWADA II	Double Sector	IT/ITeS	Healthcare
171	CHITTAURGARH	8290500101	GOVT.SR.SEC. SCHOOL PALKA	Single Sector	IT/ITeS	NA
172	CHITTAURGARH	8290305002	GOVT SENI. SEC.SCH. KATUNDA	Single Sector	Agriculture	NA
173	CHITTAURGARH	8290212635	GOVT. HR. SEN SEC GANGRAR	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
174	CHITTAURGARH	8290702806	GOVT.M.C.G.S.SEC.SCHOOL	Single Sector	IT/ITeS	NA
175	CHITTAURGARH	8290809101	GOVT.HIR.SEC.SCHOOL BILOT	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
176	CHITTAURGARH	8290613101	GOVT MAHARANA HR SEC SCHOOL KAPASAN	Single Sector	Agriculture	NA
177	CHITTAURGARH	8290102401	GOVT.S.SEC PAHUNA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
178	CHURU	8040520304	GGSSS KANOOI SUJANGARH	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
179	CHURU	8040603204	GSSS SITSAR	Double Sector	Electronics & Hardware	Beauty & Wellness
180	CHURU	8040702304	GSSS SANDVA	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
181	CHURU	8040612602	SMT. BHAGWAN DEVI SSS RATANGARH	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS
182	CHURU	8040706902	GGSSS DHAPU DEVI CHORDIAYA BIDASAR	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS
183	CHURU	8040616104	UNION GGSSS RAJLDESAR	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
184	CHURU	8040224802	GHSSG MOHTA RAJGARH	Double Sector	Beauty & Wellness	Security
185	CHURU	8040326003	SSS TANTIA G SARDARSHAHAR	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
186	CHURU	8040416102	GOVT. BAGLA SSS CHURU	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
187	CHURU	8040317504	G.S.S.S. KHEJRA.	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
188	CHURU	8040400106	GSSS KHANDWA P. CHURU	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
189	CHURU	8040213405	GHSS HAMIRWAS	Single Sector	IT/ITeS	NA
190	CHURU	8040500701	GSS KHARIA KANIRAM	Single Sector	Automotive	NA
191	CHURU	8040101103	GSSS DHEERWAS BARA	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
192	CHURU	8040417006	SHRI H.P. BUDHIA GSSS RATANNAGAR	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
193	CHURU	8040114902	INDERMANI SHARDA GGSSS TARANAGAR	Single Sector	Food Processing	NA
194	DAUSA	8110607501	GOVT. SSS NANGAL RAJAWTAN	Double Sector	Beauty & Wellness	Construction
195	DAUSA	8110107807	GOVT. SSS GUDHA KATLA	Double Sector	Beauty & Wellness	IT/ITeS
196	DAUSA	8110120901	SH. B.N. JOSHI GOVT. SSS BANDIKUI	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
197	DAUSA	8110324004	SH. ASHOK SHARMA SSS LALSOT	Double Sector	Beauty & Wellness	Plumbing
198	DAUSA	8110220701	GOVT. SS KALI PAHADI	Double Sector	Beauty & Wellness	IT/ITeS
199	DAUSA	8110605302	GOVT. SS KHANWAS	Double Sector	Beauty & Wellness	Agriculture
200	DAUSA	8110227404	SH. R. K. JOSHI GOVT SER. SEC. SCHOOL DAUSA	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
201	DAUSA	8110325913	GOVT. SSS RAMGARH PACHWARA	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
202	DAUSA	8110307101	GOVT. SSS SANWASA	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
203	DAUSA	8110509207	GOVT. SSS BAHRAWANDA	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
204	DAUSA	8110401703	GOVT. SSS GIRLS MAHUWA	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
205	DAUSA	8110503203	GOVT. SSS CHOKARWADA	Single Sector	IT/ITeS	NA
206	DAUSA	8110116005	GOVT. SS BAIJUPADA	Single Sector	IT/ITeS	NA
207	DAUSA	8110107407	GOVT SR SEC SCHOOL ARNIYA	Single Sector	Tourism & Hospitality	NA
208	DAUSA	8110305125	GOVT. GIRLS SSS MANDAWARI	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
209	DAUSA	8110608701	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL RAMSINGHPURA	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
210	DHAULPUR	8080100103	GOVT.G.S.S.S BASERI	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
211	DHAULPUR	8080219202	GOVT. SR.SEC.SCHOOL	Double Sector	Organized Retail	Security
212	DHAULPUR	8080112505	GOVT HR. SEC.S. ANGAI	Double Sector	IT/ITeS	Organized Retail
213	DHAULPUR	8080111804	GOVT G.S.S.S. SARMATHURA	Double Sector	Beauty & Wellness	IT/ITeS
214	DHAULPUR	8080204003	GOVT. SR.SEC. SCHOOL TONTARI	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
215	DHAULPUR	8080204903	MAHATMA GANDHI GOTV.SCHOOL RAHAL	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
216	DHAULPUR	8080311704	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SHERPUR	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
217	DHAULPUR	8080424303	GOVT S.S. SCH. RAJAKHERA W.NO. 25	Single Sector	Agriculture	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
218	DHAULPUR	8080326004	MAHATMA GANDHI GOVT.SCHOOL CITY KOTWALI	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
219	DHAULPUR	8080104606	GOVT.GIR.SR.SEC.SCHOOL KHIDORA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
220	DHAULPUR	8080501701	GOVT.SR.SEC.SCHOOL CHAURAKHERA	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
221	DHAULPUR	8080326301	GOVT.G.S.S.S. BADA HAIDER SHAH DHOLPUR	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
222	DUNGARPUR	8271000620	G.SR.SEC.SCH.SABLA	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
223	DUNGARPUR	8270301712	G.S.SEC.S BANKODA	Double Sector	Security	Beauty & Wellness
224	DUNGARPUR	8270901101	G.S.SEC.S.VIKAS NAGAR	Double Sector	Organized Retail	Security
225	DUNGARPUR	8270100716	G.S.SEC.S.GALANDAR PAL	Double Sector	Electronics & Hardware	IT/ITeS
226	DUNGARPUR	8270400510	G.SR.SEC.SCH PADARDI BADI	Double Sector	Agriculture	Apparel Made-ups & Home Furnishings
227	DUNGARPUR	8270803005	G.S.SEC.S.CHITRI	Double Sector	Agriculture	Apparel Made-ups & Home Furnishings
228	DUNGARPUR	8270515222	G.SR.SEC. MANI LAL.P. SIMALWARA	Double Sector	Agriculture	Apparel Made-ups & Home Furnishings
229	DUNGARPUR	8270219401	G.G.SR.SEC.TOWN DUNGARPUR	Double Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Healthcare
230	DUNGARPUR	8270702805	AD. G.SR.SEC.S. DOLVAR KAHARI	Double Sector	Tourism & Hospitality	Healthcare
231	DUNGARPUR	8270224801	G.S.SEC.S.THANA	Double Sector	Tourism & Hospitality	Healthcare
232	DUNGARPUR	8270417605	G.MAHIPAL.S.SEC S.SAGWARA	Double Sector	Organized Retail	Apparel Made-ups & Home Furnishings
233	DUNGARPUR	8270603410	G.SR.SEC.SCH KUNVA	Double Sector	Automotive	Electronics & Hardware
234	HANUMANGARH	8020222702	GSSS NOHAR	Double Sector	Beauty & Wellness	Security
235	HANUMANGARH	8020305813	GSSS AJEET PURA	Double Sector	Agriculture	IT/ITeS
236	HANUMANGARH	8020141101	GSSS HMM	Double Sector	Telecom	Plumbing
237	HANUMANGARH	8020103803	GSSS JODKIA	Double Sector	Telecom	Plumbing
238	HANUMANGARH	8020601202	GSSS W N 12 SANGARIA	Double Sector	Telecom	Electronics & Hardware
239	HANUMANGARH	8020501811	GSSS 22 JRK	Double Sector	Telecom	Electronics & Hardware
240	HANUMANGARH	8020532606	GASSS PILIBANGAN	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
241	HANUMANGARH	8020415702	GSSS RAWATSAR	Double Sector	Electronics & Hardware	Plumbing
242	HANUMANGARH	8020706409	GSSS MEHARWALA	Single Sector	Food Processing	NA
243	HANUMANGARH	8020324002	GSSS BHADRA	Single Sector	Agriculture	NA
244	HANUMANGARH	8020405602	GSSS DHANNASAR	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
245	HANUMANGARH	8020608108	MGGs RATANPURA	Single Sector	IT/ITeS	NA
246	JAIPUR	8120717201	GOVT ADARSH SEN SEC ANDHI	Double Sector	Electronics & Hardware	Healthcare
247	JAIPUR	8121105026	GOVT SEN. SEC. SCH. PHAGI	Double Sector	Beauty & Wellness	Food Processing
248	JAIPUR	8120708006	GOVT ADARSH SEN SEC. J. RAMGARH	Double Sector	Automotive	IT/ITeS
249	JAIPUR	8120305903	GOVT SEN SEC.SCH DEVAN	Double Sector	IT/ITeS	Organized Retail
250	JAIPUR	8121216905	GOVT GIRLS SEN.SEC.BAGRU	Double Sector	Beauty & Wellness	IT/ITeS
251	JAIPUR	8120520006	GOVT SEN.SEC.SCHOOL SAMBHAR	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS
252	JAIPUR	8122906101	GOVT SR.SEC.SCH KHORASHYAMDAS	Double Sector	Electronics & Hardware	IT/ITeS
253	JAIPUR	8122608301	GOVT ADARSH GIRLS SEN.SEC.GANGORI	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
254	JAIPUR	8120112505	GOVT GIRLS SEN.SEC SCH KOTPUTLI	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
255	JAIPUR	8123001506	GOVT SEN.SEC.SCHOOL DANTIL	Single Sector	Agriculture	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
256	JAIPUR	8120900602	MAHATMA GANDHI GOVT (ENGILSH MEDIUM) SCHOOL JHOTWARA JAIPUR	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
257	JAIPUR	8120616601	GOVT SEN.SEC. MANPURA MACHEDI	Single Sector	IT/ITeS	NA
258	JAIPUR	8122801610	GOVT SR SEC SCH MEENA WALA	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
259	JAIPUR	8120413311	GOVT SEN.SEC.SCH CHOMU	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
260	JAIPUR	8121312309	GOVT SEN SEC SCH KADERA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
261	JAIPUR	8121017101	GOVT SR. SEC. SCHOOL BOBAS	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
262	JAIPUR	8121324701	GOVT SEN.SEC SCH DEHLALA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
263	JAIPUR	8121114706	GOVT SEN. SEC. RENWAL MANJEE	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
264	JAIPUR	8121009601	GOVT SR. SEC. SCHOOL BORAJ	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
265	JAIPUR	8121203503	GOVT SR. SEC.SCH.JAI.SINGH PURA	Single Sector	Agriculture	NA
266	JAIPUR	8120308604	GOVT SEN SEC SCH MANOHARPUR	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
267	JAIPUR	8120819510	GOVT SR.SEC.SCH.TOONGA	Single Sector	Agriculture	NA
268	JAIPUR	8120201501	GOVT SECONDARY SCHOOL CHHAPURA KALAN	Single Sector	IT/ITeS	NA
269	JAIPUR	8120525601	GOVT SEN SEC SCH MOHANPURA BALAJI	Single Sector	IT/ITeS	NA
270	JAIPUR	8121001201	GOVT SEN SEC SCH DUDU	Single Sector	Automotive	NA
271	JAIPUR	8120515105	SETH SURAJMAL AGARWAL GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PHULERA	Single Sector	IT/ITeS	NA
272	JAISALMER	8160215821	GOVT. SR.SEC.SCHOOL RAMDEVRA	Double Sector	Automotive	IT/ITeS
273	JAISALMER	8160126103	GOVT.HR.SEC.SCH.AMAR SAHID S.M.GOPA	Double Sector	Automotive	IT/ITeS
274	JAISALMER	8160303601	GOVT. SR.SEC.SCHOOL FATEHGARH	Double Sector	IT/ITeS	Organized Retail
275	JAISALMER	8160104004	GOVT. SEN.SEC SCHOOL_NOKH	Double Sector	IT/ITeS	Organized Retail
276	JAISALMER	8160300405	GOVT. SR.SEC. SCHOOL KANOI	Single Sector	Tourism & Hospitality	NA
277	JAISALMER	8160200127	GOVT. SR.SEC. SCHOOL BHANIYANA	Single Sector	Agriculture	NA
278	JAISALMER	8160108905	SHAHID UDAY SINGH SODHA GOVT.AADARSH SENIOR SEC. SCHOOL-DHAYSAR	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
279	JAISALMER	8160108101	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DIDHU	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
280	JAISALMER	8160202704	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL K.K. BAS POKARAN	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
281	JALORE	8180507018	GOVT. SR. SEC. SCHOOL ARNAY	Double Sector	Banking, Financial Services & Insurance	Beauty & Wellness
282	JALORE	8180700116	GOVT.ADRASH SEN.SEC.S.JASWANTPURA	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
283	JALORE	8180800130	SANGHAVI LEHARIDEVI LADHAMALJI MARDIYA JAIN GOVT. SEN. SEC. SCHOOL CHITALWANA	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
284	JALORE	8180402401	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL JUNJANI	Double Sector	IT/ITeS	Healthcare
285	JALORE	8180501813	GOVT. SR. SEC. SCHOOL SARNAU	Double Sector	Beauty & Wellness	IT/ITeS
286	JALORE	8180106001	G.SR.SEC. SCH. BHAVRANI	Double Sector	Electronics & Hardware	IT/ITeS
287	JALORE	8180521105	GOVT. GIRLS. SR. SEC. SCHOOL SANCHORE	Double Sector	Beauty & Wellness	IT/ITeS
288	JALORE	8180404011	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOOL NARSANA	Double Sector	Automotive	IT/ITeS
289	JALORE	8180409220	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL BHINMAL	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
290	JALORE	8180202623	GOVT. AADRASH Sr. Secondary School BAGRA	Double Sector	IT/ITeS	Organized Retail
291	JALORE	8180210201	GOVT. SR. SECONDARY SCHOOL JALORE	Single Sector	Agriculture	NA
292	JALORE	8180303201	ADARSH GOVT.SR.SECO.SCHOOL MENGLAWA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
293	JALORE	8180603310	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DANTWARA	Single Sector	Agriculture	NA
294	JALORE	8180603907	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KARWARA	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
295	JALORE	8180500104	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOORA KI DHANI	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
296	JALORE	8180306401	G.S.S.S. PIJOPURA	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
297	JHALAWAR	8320216104	G.A.S.S.S., DURGPURA	Double Sector	Beauty & Wellness	Automotive
298	JHALAWAR	8320617327	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DAG	Double Sector	Healthcare	Telecom
299	JHALAWAR	8320707003	GOVT GIRLS SSS AKLERA	Double Sector	Beauty & Wellness	Security
300	JHALAWAR	8320248307	GSSS JHALAWAR	Double Sector	Tourism & Hospitality	IT/ITeS
301	JHALAWAR	8320108138	GSSS KHANPUR	Double Sector	Tourism & Hospitality	IT/ITeS
302	JHALAWAR	8320815302	G.S.S.S. BHAWANIMANDI	Double Sector	Organized Retail	IT/ITeS
303	JHALAWAR	8320503519	GGSSS	Double Sector	Electronics & Hardware	Organized Retail
304	JHALAWAR	8320700101	GSSS	Double Sector	Tourism & Hospitality	IT/ITeS
305	JHALAWAR	8320435602	G.SEC.S., NASIRABAD	Single Sector	Agriculture	NA
306	JHALAWAR	8320318601	GASSS CHANDIPUR	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
307	JHALAWAR	8320706403	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MAIN MARKET AKLERA	Single Sector	NA	NA
308	JHALAWAR	8320610301	GSSS SARWAR	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
309	JHUNJHUNU	8050116002	SHAHID.COL.J.P.JANU.GOV.T.SR.S EC.JJN	Double Sector	Electronics & Hardware	Banking, Financial Services & Insurance
310	JHUNJHUNU	8050212702	G SR. SEC. S BISAU	Double Sector	Automotive	Telecom
311	JHUNJHUNU	8050809105	G SR. SEC. S UDAIPURWATI	Double Sector	Tourism & Hospitality	IT/ITeS
312	JHUNJHUNU	8050707806	GOVT. SR.SEC.SCHOOL .PARASRAMPURA	Double Sector	Tourism & Hospitality	IT/ITeS
313	JHUNJHUNU	8050802403	G SR. SEC. SCH. KED	Double Sector	Electronics & Hardware	Healthcare
314	JHUNJHUNU	8050310704	GOVT. GIRLS SR.SEC.SCHOOL RAJKALA CHIRAWA	Double Sector	Agriculture	Healthcare
315	JHUNJHUNU	8050709808	GOVT. SR. SEC. SCH. MAN SINGHKA NAWALGARH	Single Sector	Agriculture	NA
316	JHUNJHUNU	8050604209	G SR.SEC. S PAPURANA	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
317	JHUNJHUNU	8050306207	G SR.SEC.S. SULTANA	Single Sector	Agriculture	NA
318	JHUNJHUNU	8050204406	GOVT. J.K. SR.SEC. S ALSISAR	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
319	JHUNJHUNU	8050507908	Govt. G SR SEC S BUHANA	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
320	JHUNJHUNU	8050211003	GOVT.SR.SEC. SCH. TAIN	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
321	JHUNJHUNU	8050404702	GOVT SEN SEC. SCHOOL DEVROAD	Single Sector	Automotive	NA
322	JHUNJHUNU	8050501606	MAHATMA GANDHI ENGLISH MEDIOUM SCHOOL GHARADANA KHURD	Single Sector	Automotive	NA
323	JHUNJHUNU	8050404302	G.SR.SEN.SEC.(G) JEENI	Single Sector	IT/ITeS	NA
324	JHUNJHUNU	8050416501	SHRI KRISHAN PARISAD GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SURAJGARH (215888) (08050416501)	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
325	JHUNJHUNU	8050106702	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BIBASAR	Single Sector	Beauty & Wellness	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
326	JHUNJHUNU	8050713201	SMT. RAMA DEVI MURARKA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MUKUNDGARH	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
327	JHUNJHUNU	8050413401	GOVT SR SEC SCHOOL WARD 2 PILANI	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
328	JHUNJHUNU	8050300117	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDRELLA	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
329	JODHPUR	8150911302	GGSSS BILARA	Double Sector	Beauty & Wellness	IT/ITeS
330	JODHPUR	8151208501	GASSS SETRAVA	Double Sector	Security	IT/ITeS
331	JODHPUR	8151500808	GSSS SIWANCHI GATE CHB	Double Sector	Organized Retail	Tourism & Hospitality
332	JODHPUR	8150807301	GSSS MOGRA KALLA	Double Sector	IT/ITeS	Organized Retail
333	JODHPUR	8151602206	GASSS CHAMU	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
334	JODHPUR	8150506601	GSSS NEVRA ROAD	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
335	JODHPUR	8150215901	GGASSS S.M.B. PHALODI	Double Sector	Healthcare	Food Processing
336	JODHPUR	8150111103	GASSS GHANTIYALI	Single Sector	Organized Retail	NA
337	JODHPUR	8151107201	GASS KANKRALANADA	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
338	JODHPUR	8151008820	GASSS BAORI	Single Sector	Agriculture	NA
339	JODHPUR	8151101401	GASSS INDO KA BAS	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
340	JODHPUR	8150207001	GASSS MOKHERI	Single Sector	IT/ITeS	NA
341	JODHPUR	8151407305	GGSSS PIPAR CITY	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
342	JODHPUR	8151308702	GSSS NOSAR	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
343	JODHPUR	8150407404	GASSS AAGOLAI	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
344	JODHPUR	8150602501	GASSS DEVATADA	Single Sector	IT/ITeS	NA
345	JODHPUR	8150811713	GSSS DHAWA	Single Sector	IT/ITeS	NA
346	JODHPUR	8150701001	GSSS DAIZER	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
347	JODHPUR	8150707404	GSSS DAI KADA	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
348	JODHPUR	8151603204	GSSS LAWARAN	Single Sector	Tourism & Hospitality	NA
349	JODHPUR	8150301901	GSSS SOMESAR	Single Sector	Organized Retail	NA
350	JODHPUR	8151701902	GSS GODARO KA BERA	Single Sector	IT/ITeS	NA
351	JODHPUR	8151503009	M.G.GOV.T.SCHOOL (ENGILSH MEDIUM) JALORI GATE JODHPUR	Single Sector	Organized Retail	NA
352	JODHPUR	8151202502	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDLA KHURD	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
353	KARAULI	8090106832	GSSS. FRIDOM FIGHTER CHING.LAL SHARMA	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS
354	KARAULI	8090202305	GSSS VIJAYPURA	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
355	KARAULI	8090203609	GSSS RATANJILA	Double Sector	Automotive	Electronics & Hardware
356	KARAULI	8090303518	GSSS NAGAL PAHARI	Double Sector	Automotive	Electronics & Hardware
357	KARAULI	8090502845	GSSS SAPOTRA	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
358	KARAULI	8090218602	GSSS HINDAUN CITY	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
359	KARAULI	8090318304	GSSS TODABHIM	Double Sector	Beauty & Wellness	Food Processing
360	KARAULI	8090600706	GSSS BATDA	Single Sector	IT/ITeS	NA
361	KARAULI	8090102709	GSSS FATEHPUR	Single Sector	Electronics & Hardware	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
362	KARAULI	8090100527	GSSS KAILADEVI	Single Sector	Automotive	NA
363	KARAULI	8090402127	GSSS TIMABA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
364	KARAULI	8090500207	MAHATMA GANDHI GOVT SCHOOL NAROLI DANG	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
365	KARAULI	8090601125	GOVT. SENIOUR SECONDARY SCHOOL SHYAMPUR	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
366	KARAULI	8090313802	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SUJANPURA	Single Sector	Food Processing	NA
367	KHAIRTHAL-TIJARA	8060601102	GOVT.SR.SEC.SCHOOL KHIJURI BAS	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
368	KHAIRTHAL-TIJARA	8060406102	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL ISMAILPUR	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
369	KHAIRTHAL-TIJARA	8060618201	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DOTANA	Single Sector	Automotive	NA
370	KOTA	8300604431	G.G.S.S.S. SHRIPURA	Double Sector	Beauty & Wellness	Apparel Made-ups & Home Furnishings
371	KOTA	8300427104	G.S.S.S. RAMGANJMANDI	Double Sector	Automotive	IT/ITeS
372	KOTA	8300125401	G.S.S.S. ITAWA	Double Sector	Automotive	IT/ITeS
373	KOTA	8300316804	G.S.S.S.KAITHOON	Double Sector	IT/ITeS	Healthcare
374	KOTA	8300111203	G.S.S.S. VINAYKA	Double Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	Healthcare
375	KOTA	8300407702	G.S.S.S. JULMI	Double Sector	IT/ITeS	Electronics & Hardware
376	KOTA	8300522504	G.S.S.S. SANGOD	Single Sector	Agriculture	NA
377	KOTA	8300602210	G.S.S.S. SHRINATHPURAM	Single Sector	Agriculture	NA
378	KOTA	8300210508	G.S.S.S. KOTSUNWA	Single Sector	IT/ITeS	NA
379	KOTPUTLI-BEHROR	8123004301	MAHATMA GANDHI GOVT (ENG.MEDIUM) SCHOOL PRAGPURA	Single Sector	Agriculture	NA
380	KOTPUTLI-BEHROR	8120213204	GOVT SER. SEC. SCH. VIRATNAGAR	Single Sector	Food Processing	NA
381	KOTPUTLI-BEHROR	8120103101	GOVT SEN SEC SCHOOL PURAN NAGAR	Single Sector	Agriculture	NA
382	NAGAU	8141207602	S.J.R.G.D.B.GHSS PANCHLA SIDHA	Double Sector	Food Processing	Agriculture
383	NAGAU	8140920503	GHSS JAWAHAR KUCHAMAN CITY	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
384	NAGAU	8140807305	GHSS KALRI	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
385	NAGAU	8140200308	GHSS ALNIYAWAS	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
386	NAGAU	8140305009	GHSS JARODA KALLA	Double Sector	Beauty & Wellness	Agriculture
387	NAGAU	8140412211	GHSS PARBATSAR	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS
388	NAGAU	8140210504	GGHSS RIYAN BADI	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
389	NAGAU	8140720849	GGHSS SON DEVI BANGUR DEEDWANA	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
390	NAGAU	8140611801	GGHSS SMT KESAR DEVI SETH LADNUN	Single Sector	Food Processing	NA
391	NAGAU	8141114903	GHSS MAKRANA	Single Sector	Agriculture	NA
392	NAGAU	8140402401	GHSS BIDIYAD	Single Sector	Agriculture	NA
393	NAGAU	8141407202	GHSS NAWA CITY	Single Sector	Agriculture	NA
394	NAGAU	8140308323	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL REN	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
395	NAGAU	8141102140	GHSS BORAWAR	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
396	NAGAU	8140712601	GSS NIMBI KHURD	Single Sector	Electronics & Hardware	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
397	NAGAU	8140109301	GHSS KHURI KALLAN	Single Sector	Food Processing	NA
398	NAGAU	8140506201	GSS JHALALAR	Single Sector	IT/ITeS	NA
399	NAGAU	8140905004	GHSS HIRANI	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
400	NAGAU	8140600505	GHSS BALDU	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
401	NAGAU	8141102103	GGHSS BORAWAR	Single Sector	IT/ITeS	NA
402	NAGAU	8141307807	MAHATMA GANDHI GOVT SCHOOL TOSINA	Single Sector	Automotive	NA
403	NAGAU	8141011813	GGSS SANKHWAS	Single Sector	IT/ITeS	NA
404	NAGAU	8141405410	GHSS MAROTH	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
405	NAGAU	8140817101	Govt Senior Secondary School Rathori Kuwa Nagaur	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
406	NAGAU	8140107713	GSSS JHAGARWAS	Single Sector	Electronics and Hardware	NA
407	NAGAU	8140206801	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANWARIYAT	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
408	PALI	8201712506	SHRI BANGUR GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PALI	Double Sector	IT/ITeS	Banking, Financial Services & Insurance
409	PALI	8200809301	G.G.S.SEC. SCHOOL TAKHATGARH	Double Sector	Beauty & Wellness	Telecom
410	PALI	8200307301	G.SR. SEC.S	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS
411	PALI	8201300201	G.S.SEC.S. RANI GAON	Double Sector	IT/ITeS	Tourism & Hospitality
412	PALI	8200807702	G.S.SEC. SCHOOL, SUMERPUR	Double Sector	Tourism & Hospitality	Organized Retail
413	PALI	8200911202	G.S.SEC.SCHOOL KHUDALA	Double Sector	Organized Retail	Healthcare
414	PALI	8201712602	G.G.S.SEC.S.	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
415	PALI	8200612501	G.SR.SEC.	Double Sector	Organized Retail	IT/ITeS
416	PALI	8200209304	G.H.SEC.SCHOOL BABARA	Double Sector	Tourism & Hospitality	IT/ITeS
417	PALI	8200900836	G.G.S.SEC.School. BALI	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
418	PALI	8201002707	G.SR.SEC. SCHOOL GHANERAO	Double Sector	IT/ITeS	Organized Retail
419	PALI	8200393604	GSSS..SOJAT CITY	Single Sector	Agriculture	NA
420	PALI	8201012404	G.G.S.SEC.S. SaDARI	Single Sector	Food Processing	NA
421	PALI	8200904001	GOVT ADARSH SEN SEC.SCHOOL SEWARI	Single Sector	IT/ITeS	NA
422	PALI	8200109806	G.S.SEC.S. DEORIYA	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
423	PALI	8200403801	G.SENIOR.SEC.SCHOOL SANWALATA KALLA	Single Sector	IT/ITeS	NA
424	PALI	8200100202	G.S.SEC.S. JAITARAN WN 2	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
425	PALI	8200915701	GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL BHARLA	Single Sector	Electronics and Hardware	NA
426	PRATAPGARH	8330224401	G.S.S.S. SUHAGPURA	Double Sector	Healthcare	Security
427	PRATAPGARH	8331125030	GOVT GIRLS HR. SEC. SCHOOL	Double Sector	Beauty & Wellness	Tourism & Hospitality
428	PRATAPGARH	8331316805	GOVT. SR. SEC. THADA	Double Sector	Healthcare	Electronics & Hardware
429	PRATAPGARH	8331371762	GOVT. GIRLS SR.SEC. PRATAPGARH	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
430	PRATAPGARH	8331217801	GULAB CHAND MEWARI SR.SEC.SCH.CHHOTISADRI	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
431	PRATAPGARH	8331416801	G.Sr.Sec.School BHACHUNDLA	Single Sector	IT/ITeS	NA
432	PRATAPGARH	8330204201	G.S.S.S.THECHLA	Single Sector	Construction	NA
433	PRATAPGARH	8331208301	G.S.S.S.SWRUPGANG	Single Sector	Construction	NA
434	PRATAPGARH	8331411701	G.Sr.SEC. MOHEDA	Single Sector	Automotive	NA
435	PRATAPGARH	8331326201	G.SR.SEC.SCHOOL BADILANK	Single Sector	Electronics & Hardware	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
436	PRATAPGARH	8330206018	GOVT SINOR SECONDARY SCHOOL LEVAPADA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
437	PRATAPGARH	8331323201	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAGRODA	Single Sector	Agriculture	NA
438	PRATAPGARH	8330224409	G.S.S.S. MOTA MANGYA	Single Sector	Agriculture	NA
439	RAJSAMAND	8250315904	GOVT. SR. SEC. SCH. AMET	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
440	RAJSAMAND	8250405801	GOVT. SR.SEC.SCHOOL CHARBHUJA	Double Sector	Agriculture	Tourism & Hospitality
441	RAJSAMAND	8250614009	ADRASH GOVT SR SEC SCH RAJSAMAND	Double Sector	IT/ITeS	Healthcare
442	RAJSAMAND	8250110201	ADARSH GOVT.HR.SEC.SCH.KACHHBALI	Double Sector	Healthcare	Electronics & Hardware
443	RAJSAMAND	8250611517	ADRASH GOVT. SR. SEC. SCH. MOHI	Double Sector	Tourism & Hospitality	Beauty & Wellness
444	RAJSAMAND	8250510012	ADRASH GOVT. SR. SEC. S	Double Sector	Tourism & Hospitality	Beauty & Wellness
445	RAJSAMAND	8250213803	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL DEOGARH	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
446	RAJSAMAND	8250206606	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VIJAYPURA	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
447	RAJSAMAND	8250512705	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BILOTA	Single Sector	IT/ITeS	NA
448	RAJSAMAND	8250703019	Govt. Sr. Sec. School Railmagra	Single Sector	Automotive	NA
449	RAJSAMAND	8250520604	SHREE GOVERDHAN GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADA BAZAR NATHDWARA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
450	RAJSAMAND	8250516901	GOVT. Senior secondary SCHOOL KAGMADARDA	Single Sector	Tourism & Hospitality	NA
451	S.GANGANAGAR	8010530404	GOVT.SEN.SEC.SCH.,SRIVIJAYNAGAR	Double Sector	Electronics & Hardware	Telecom
452	S.GANGANAGAR	8010797401	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL, RAISINGHNAGAR	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
453	S.GANGANAGAR	8010846854	GOVT.HR.SEC.SCH. (RATHI) WN 25	Double Sector	Automotive	Electronics & Hardware
454	S.GANGANAGAR	8010948802	GOVT.GIRLS . SR . SEC. SCH. anoopgarh	Double Sector	Beauty & Wellness	Organized Retail
455	S.GANGANAGAR	8010226004	GOVT SENIOR SECOUNDARY SCHOOL KARANPUR	Double Sector	Healthcare	Organized Retail
456	S.GANGANAGAR	8010333305	GOVT SEN. SEC.SCH. GANESH GARH	Double Sector	Healthcare	Security
457	S.GANGANAGAR	8010134101	GOVT. GIRLS SEN. SEC. SCH	Double Sector	IT/ITeS	Organized Retail
458	S.GANGANAGAR	8010109603	GOVT. GIRLS SEN. SEC. SCH	Double Sector	Beauty & Wellness	Apparel Made-ups & Home Furnishings
459	S.GANGANAGAR	8010426202	GOVT.GIRLS.SR.SEC.SCH.WNO PADAMPUR	Double Sector	Beauty & Wellness	Apparel Made-ups & Home Furnishings
460	S.GANGANAGAR	8010336101	GOVT.SEN.SEC.SCH. (LALGARH JATTAN)	Double Sector	Beauty & Wellness	Plumbing
461	S.GANGANAGAR	8010850109	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOJEWALA	Single Sector	Food Processing	NA
462	S.GANGANAGAR	8010620804	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ROJARI	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
463	S.GANGANAGAR	8010724906	GOVT SEC SCH DABLA	Single Sector	Agriculture	NA
464	S.GANGANAGAR	8010333606	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SADUL SHAHAR	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
465	S.GANGANAGAR	8010518703	GOVT.SEN.SEC SCH. 6 BLM(A)	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
466	SAWAI MADHOPUR	8100302401	G.SR SEC SEWA	Double Sector	IT/ITeS	Security
467	SAWAI MADHOPUR	8100105301	G. SR SEC PIPLAI	Double Sector	Electronics & Hardware	IT/ITeS
468	SAWAI MADHOPUR	8100321203	GOVT SR SEC GANGAPUR CITY W-31	Double Sector	IT/ITeS	Security
469	SAWAI MADHOPUR	8100519704	G.SR.SEC.SCHOOL SAWAIMADHOPUR	Double Sector	Healthcare	Tourism & Hospitality
470	SAWAI MADHOPUR	8100207601	G. SR SEC PIPALWARA	Double Sector	Beauty & Wellness	Automotive
471	SAWAI MADHOPUR	8100417710	G. SR SEC ASHOK FALODI QUARI	Double Sector	Electronics & Hardware	Automotive
472	SAWAI MADHOPUR	8100603401	G.SR.SEC.SCHOOL JHONPARA	Single Sector	IT/ITeS	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
473	SAWAI MADHOPUR	8100211622	G. G. SR. SEC. KHIRNI	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
474	SAWAI MADHOPUR	8100500101	Gsss Jatwada Kalan	Single Sector	Tourism & Hospitality	NA
475	SAWAI MADHOPUR	8100416803	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL LAHSODA	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
476	SIKAR	8130402712	GOVT.SR.SEC.SCH.	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
477	SIKAR	8130413924	GOVT.ADARSH SR.SEC.SCH.	Double Sector	IT/ITeS	Agriculture
478	SIKAR	8130811301	GOVT. SR.SEC.SCH.	Double Sector	Electronics & Hardware	Beauty & Wellness
479	SIKAR	8130301204	GOVT.ADARSH.SEC.SCH., SINGRAWAT	Double Sector	IT/ITeS	Agriculture
480	SIKAR	8130613804	GOVT.SR.SEC.SCH KHANDELA	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
481	SIKAR	8130118902	G.D.RUIYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARH SHEKHAWATI	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
482	SIKAR	8130809106	GOVT.SR.SEC.SCH.SHRIMADHOPUR	Double Sector	AGRICULTURE	Beauty & Wellness
483	SIKAR	8130601105	GOVT.SR.SEC.SCH.	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
484	SIKAR	8130701708	GOVT.SR.SEC.SCH.	Double Sector	IT/ITeS	Healthcare
485	SIKAR	8130510601	GOVT.GIRLS SR.SEC R. KRI.M. SIKAR	Double Sector	Beauty & Wellness	IT/ITeS
486	SIKAR	8130216621	GOVT.SAVITRI G. SR.SEC.SCH.	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
487	SIKAR	8130417012	SHRI DEDRAJ KHETAN GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LOSAL	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
488	SIKAR	8130414202	GOVT. SR.SEC.SCH. ALODA	Single Sector	Agriculture	NA
489	SIKAR	8130205904	SHAHID SHAKRU KHAN GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANGLUNA	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
490	SIKAR	8130804208	SHAHID GAJARAJ SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DIVRALA	Single Sector	Agriculture	NA
491	SIKAR	8130903205	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JEELO	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
492	SIKAR	8130114104	GOVT ADARSH SR.SEC.SCHOOL BALARA	Single Sector	Automotive	NA
493	SIKAR	8130408108	GOVT.GIRLS SEC.SCH. BAYA	Single Sector	IT/ITeS	NA
494	SIKAR	8130502606	MAHATMA GANDHI GOVT SCHOOL ENGLISH MEDIM GOKULPURA	Single Sector	IT/ITeS	NA
495	SIKAR	8130107802	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BIBIPUR	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
496	SIKAR	8130719301	JAMUNA DEVI GOVT.GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KHE.MODE NEEM KA THANA	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
497	SIKAR	8130118901	H.R.RUIA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMGARH SHEKHAWATI	Single Sector	Health Care	NA
498	SIKAR	8130716104	GAJANAND MODI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NEEMKATHANA	Single Sector	Food Processing	NA
499	SIKAR	8130803810	SHAHID BHAIRURAM GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL, MUNDRU	Single Sector	ELECTRONICS AND HARDWARE	NA
500	SIKAR	8130502501	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL KAHARO KI DHANI	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
501	SIROHI	8190310304	AADARSH GHSS GIRLS SIROHI	Double Sector	Beauty & Wellness	IT/ITeS
502	SIROHI	8190110103	AADARSH_GSHS_GIRLS_PINDWARA	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
503	SIROHI	8190410601	AADARSH_GOVT_SR_SEC_SCHOOOL_SHEOGANJ	Double Sector	Organized Retail	IT/ITeS
504	SIROHI	8190210105	AADARSH_G.G.H.S.S.	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
505	SIROHI	8190100101	AADARSH_G.S.SEC.S.	Double Sector	Beauty & Wellness	Security
506	SIROHI	8190202502	AADARSHG.S.S. MUNGTHALA	Double Sector	Automotive	Beauty & Wellness
507	SIROHI	8190510704	G.SEN.SEC.S. NIMBAJ	Double Sector	Healthcare	Beauty & Wellness
508	SIROHI	8190303916	MAHATMA GANDHI GOVERMENT SCHOOL JAWAL	Single Sector	Automotive	NA
509	SIROHI	8190401501	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL SAWALI	Single Sector	Food Processing	NA
510	TONK	8220322701	GOVT. SR. SEC. SCH. NEWAI	Double Sector	IT/ITeS	Electronics & Hardware
511	TONK	8220228206	GOVT. SR. SEC. SCH. KOTHI NATMAM TONK	Double Sector	Beauty & Wellness	IT/ITeS
512	TONK	8220504018	GOVT. SR. SEC. SCH. DOONI	Double Sector	Beauty & Wellness	IT/ITeS
513	TONK	8220118102	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCH. MALPURA	Double Sector	Beauty & Wellness	Electronics & Hardware
514	TONK	8220414903	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCH. TODARAISINGH	Double Sector	Beauty & Wellness	IT/ITeS
515	TONK	8220520102	GOVT. SR. SEC. SCH. DEOLI	Double Sector	Security	IT/ITeS
516	TONK	8220601126	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCH. ALIGARH	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
517	TONK	8220101918	GOVT. SR. SEC. SCH. TORDI	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS
518	TONK	8220313914	GOVT. SR. SEC. SCH. RAHOLI	Single Sector	Banking, Financial Services & Insurance	NA
519	TONK	8220217803	GOVT. SR. SEC. SCH. RANOLI	Single Sector	IT/ITeS	NA
520	TONK	8220621804	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCH. UNIYARA	Single Sector	Food Processing	NA
521	TONK	8220400401	GOVT. SR. SEC. SCH. BARWAS	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
522	TONK	8220228503	MAHATMA GANDHI GOVT. GIRLS SR. SEC. SCH. GULZARBAGH	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
523	TONK	8220202601	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL ARNIYAMAL	Single Sector	Healthcare	NA
524	UDAIPUR	8261700401	G.S.SEC.S.SAKRODA	Double Sector	Agriculture	Apparel Made-ups & Home Furnishings
525	UDAIPUR	8260108723	G.S.SEC.S.GOGUNDA	Double Sector	Automotive	IT/ITeS
526	UDAIPUR	8260300129	G.S.SEC.S.MAVLI	Double Sector	Automotive	IT/ITeS
527	UDAIPUR	8260708502	G.G.S.SEC.S.JHADOL	Double Sector	Beauty & Wellness	Healthcare
528	UDAIPUR	8261024804	G.S.SEC.S.SALUMBER	Double Sector	IT/ITeS	Healthcare
529	UDAIPUR	8261403201	G.S.SEC.S.BALUA	Double Sector	Electronics & Hardware	Apparel Made-ups & Home Furnishings
530	UDAIPUR	8261302401	G.S.SEC.S.KOLYARI	Double Sector	Healthcare	IT/ITeS
531	UDAIPUR	8260801901	G.S.SEC.S.CHHANI	Double Sector	IT/ITeS	Healthcare
532	UDAIPUR	8261200217	G.S.SEC.S.SHRI KESHRIYAJI RISHABHDEO	Double Sector	IT/ITeS	Beauty & Wellness
533	UDAIPUR	8261507601	G.S.SEC.S.JHALLARA	Double Sector	Beauty & Wellness	Organized Retail
534	UDAIPUR	8261402001	G.S.SEC.S.SEMARI	Double Sector	Beauty & Wellness	Organized Retail
535	UDAIPUR	8260430207	G.G.S.SEC.S.BHINDER	Double Sector	Beauty & Wellness	Organized Retail
536	UDAIPUR	8260508805	G.S.SEC.S.KAYA	Single Sector	Tourism & Hospitality	NA
537	UDAIPUR	8261108201	G.S.SEC.S.KALIBHIT	Single Sector	Organized Retail	NA
538	UDAIPUR	8261606506	G.S.SEC.S.KARDA	Single Sector	Agriculture	NA
539	UDAIPUR	8260618011	G.S.SEC.S.BEKRIYA	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
540	UDAIPUR	8260202906	G.S.SEC.S.SUKHER	Single Sector	IT/ITeS	NA
541	UDAIPUR	8260907203	G.S.SEC.S.PILADAR	Single Sector	Agriculture	NA

S. No.	Name of District	UDISE Code	Name of Schools	No. of Approved Sectors	Sector 1	Sector 2
542	UDAIPUR	8260811406	G.S.SEC.S.SAROLI	Single Sector	Apparel Made-ups & Home Furnishings	NA
543	UDAIPUR	8260424701	G.S.SEC.S.NAVANIA	Single Sector	Agriculture	NA
544	UDAIPUR	8260431713	G.S.SEC.S.KANOR CHATUR	Single Sector	Beauty & Wellness	NA
545	UDAIPUR	8260520007	G.S.SEC.S.FATEH SCHOOL SURAJPOLE	Single Sector	Tourism & Hospitality	NA
546	UDAIPUR	8260420901	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL .MASINGHPURA	Single Sector	Electronics & Hardware	NA
547	UDAIPUR	8260615101	GOVT SER SEC SCHOOL PATHARPARI	Single Sector	Agriculture	NA
548	UDAIPUR	8260316002	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL VASNI MAFI	Single Sector	Agriculture	NA
549	UDAIPUR	8260813402	G.S.SEC.S.KAKRA DUNGARA	Single Sector	Agriculture	NA